लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र
Fourteenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 53 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LIII contains Nos. 1 to 10]

Preservation Unit
...igated
On 1-9-92
Parliament Library

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 11 सोमवार, 4 अगस्त, 1975/13 श्रावण, 1897 (शक)

No. 11, Monday, August 4, 1975/Sravana 13, 1897 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGE
निधन सम्बन्धी उल्लेख—	Obituary References—	
(श्री साधुराम तथा श्री भागीरथी महापात्र)	(Shri Sadhu Ram and Shri Bhagirathi Mahapatra)	1-2
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	2
राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha . . .	3-4
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills	4
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	Committee on Absence of Members from the Sittings of the House—	
22वां प्रतिवेदन	Twenty-second Report . . .	4
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति—	Committee on Public Undertakings—	
73वां प्रतिवेदन	Seventy-third Report . . .	4
भारत के मुख्य न्यायाधीश पर 20 मार्च, 1975 को हथगोले फेंके जाने के बारे में वक्तव्य—	Statement on the case relating to throwing of hand grenades on Chief Justice of India on March 20, 1975—	
श्री ओम मेहता	Shri Om Mehta	5
निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	Election Laws (Amendment) Bill—Introduced	56
आर्थिक प्रगति के नये कार्यक्रम के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत—	Motion *Re.* New Programme for Economic Progress—*Adopted* —	
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga . . .	6-7
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwary . . .	7-8
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey . . .	8 9
श्री के० जी० देशमुख	Shri K. G. Deshmukh . . .	9-10
डा० जी० एस० मेलकोटे	Dr. G. S. Melkote . . .	10-11
श्री गेंदा सिंह	Shri Genda Singh . . .	11

विषय	SUBJECT	PAGE
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata	11-12
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	12-13
श्री पी० आर० शिनाय	Shri P. R. Shenoy	14
श्री अर्जुन सेठी	Shri Arjun Sethi	14-15
श्री गिरिधर गोमांगो	Shri Giridhar Gomango . . .	15-16
श्री एम० जी० उइके	Shri M. G. Uikey . . .	16
श्री कार्तिक उरांव	Shri Kartik Uraon . . .	16—18
श्री पी० के० घोष	Shri P. K. Gosh . . .	18-19
श्रीमती एम० गोडफ्रे	Shrimati M. Godfrey . . .	19
श्री मोहनस्वरूप	Shri Mohan Swarup . . .	19-20
श्री स्वर्ण सिंह सोखी	Shri Swaran Singh Sokhi . . .	20-21
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन	Shrimati Bhargavi Thankappan .	21-22
श्री अनादि चरण दास	Shri Anadi Charan Das . . .	22
श्री जांबुवंत धोते	Shri Jambuwant Dhote . . .	23-24
श्री चिरंजीब झा	Shri Chiranjib Jha . . .	24
डा० गोविन्द दास रिछारिया	Dr. Govind Das Richhariya . .	24-25
श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra .	25-26
श्रीमती रोजा देशपाण्डे	Shrimati Roza Deshpande .	26-27
श्री के० डी० मालवीय	Shri K. D. Malaviya . . .	27—29
श्री जगदीश नारायण मंडल	Shri Jagdish Narain Mandal . .	29-30
श्री राजदेव सिंह	Shri Rajdeo Singh . . .	30
श्री सी० सुब्रह्मण्यम्	Shri C. Subramaniam . . .	30—35

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अंकिनीडू, श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडु, श्री (अनकपल्ली)
अम्बेश, श्री (फिरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश चन्द्र सिंह (फरुखाबाद)
अहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भगवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसाहक, श्री ए० के० एम० (बसिरहाट)
इस्माइल, हुसैन खां श्री (बारपेटा)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडला)
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडगा)
उरांव, श्री टुना (जलपाईगुड़ी)
उलगनबी, श्री आर० पी० (वैल्लौर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
एंगती, श्री बीरेन (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रुगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरैना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन (कासरगोड)
कतामुतु, श्री एम० (नागापट्टिनम)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामाऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्ण सिंह डा० (ऊधमपुर)
कर्णी सिंह डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरुच्चिरापल्ली)
कलिंगारायार श्री मोहनराज (पोलाची)
कस्तुरे, श्री ए० एस० (खामगांव)
कादर, श्री एस० ए० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पंढरपुर)
काबले, श्री टी० डी० (लातुर)
काकोडकर, श्री पुरूषोत्तम (पंजिम)
कामराज, श्री के० (नागरकोइल)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
काले, श्री (जालना)
कावड़े, श्री बी० आर० (नासिक)

कान्हडोल, श्री (मालेगांव)
किन्दर लाल, श्री, (हरदोई)
किरुतिनन, श्री था (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनेहीघाट)
कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक, बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
कैशाल, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैंड)
कोत्ताशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कोया, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन, श्री एम० के० (पोन्नाणि)
कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णन्, श्रीमती पार्वती (कोयम्बटूर)
कृष्णप्पा. श्री एम० वी० (हुस्कोटे)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)

ग

गंगादेव, श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नानदरबार)
गांधी, श्रीमती इंदिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजापुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरोना)
गोखले, श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णासाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरुण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनीराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोयन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरी)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (वर्दबान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (एटा)

चन्द्र गौडा, श्री डी० बी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा वीर बासप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका, प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चिक्कलिंगैया, श्री के० (मांडया)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (तिरुपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी श्री अमर सिंह (मांडवली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिव (बरहमपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौधरी, श्री मोइननुल हक (धुबरी)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (चैल)

ज

जगजीवनराम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रहमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयशक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री वरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहांपुर)
जुल्फिकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोजफ, श्री एम० एस० (पीरमाडे)
जोरदर, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुनझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चित्तौड़गढ़)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव, (चिमूर)
ठाकरे, श्री एस० वी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)
डांडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लों, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी० (नान्देड़)
तुलसीराम, श्री वी० (पेद्दापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)
तिवारी, श्री शंकर, (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभान मनी (बलरामपुर)
तेवर, श्री पी० के० एम० (रामनाथपुरम)
तैयब हुसैन, श्री (गुड़गांव)

द

दंडपाणि, श्री सी० डी० (धारापुरम)
दत्त, श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह, श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दलीप सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
दामणी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री धरनीधर (मंगलदायी)
दास, श्री रेणुपद (कृष्णनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खंडवा)
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीवीकन, श्री (कल्लाकरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे, श्री ज्वाला प्रसाद (भंडारा)
दुराईरासु, श्री ए० (पैरम्बूलूर)
देव, श्री एस० एन० सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राज राज सिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी राव एस० (परभणि)
देशपांडे, श्रीमती रोजा (बम्बई मध्य)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मगज सिंह, श्री (शाहबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धूसिया, श्री अनन्त प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवंत (नागपुर)

न

नन्द, श्री गुलजारीलाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फूलबनी)
नायक, श्री बी० वी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाड़मेर)
निंबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह, (गढ़वाल)

प

पंडा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एस० टी० (भीर)

पजनौर, श्री अरविन्द बाल (पांडीचेरी)
पटनायक, श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली, (पुरी)
पटेल, श्री अरविन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (ढ़ढुका)
पटेल, श्री नटवर लाल (मेहसाना)
पटेल, कुमारी मणिवेन (साबरकंठा)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभदास (डाभोई)
पटेल, श्री आर० आर० (दादर तथा नगर हवेली)
पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पालोडकर, श्री मानिकराव (औरंगाबाद)
पास्वान, श्री राम भगत (रासेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिंडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द (खलीलाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायन (गोरखपुर)
पांडे, श्री राम सहाय, (राजनन्द गांव)
पांडेय, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दौली)
पाओकाई हाओकिप, श्री (ब्राह्मनीपुर)
पाटिल, श्री अान्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० वी० विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एस० बी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जलगांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पाराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिक लाल (सुरेन्द्र नगर)
पार्थासारथी, श्री पी० (राजमपैट)
पिल्ले, श्री आर० बालकृष्ण (मावेलिकरा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूम)
पेजे, श्री एस० एल० (रत्नागिरी)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)
प्रधान, श्री धनशाह (शहडोल)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रबोध चन्द, श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली बाबू, श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी, श्री एस० एम० (कानपुर)
बनर्जी, श्रीमती मकुल (नई दिल्ली)
बनेरा, श्री हेमेन्द्र सिंह, (भीलवाड़ा)
बडे, श्री आर० व० (खरगांन)
बरूआ, श्री बेदव्रत (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेटी)
बादल, श्री गुरदास सिंह (फाजिल्का)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन, (श्री के० (अम्बलपुजा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अल्मोड़ा)
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)

बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमक)
ब्रजराज सिंह कोटा, श्री (झालावाड़)
ब्रह्मानन्द जी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतनलाल (दार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहबाद)
भट्टाचार्य, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)
भट्टाचार्य, श्री जगदीश (घाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु (गिरिडीह)
भागीरथ, भंवर श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री वंशेश्वर नाथ (अजमेर)
भार्गवी, तनकप्पन श्रीमती (अडूर)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीष्मदेव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंडल, श्री जगदीश नारायण (गोडा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मधुकर, श्री के० एम० (केसरिया)
मनहर, श्री भगतराम (जंजगीर)
मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगडा)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
मांझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी, श्री गजाधर (सुन्दरगढ़)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड, सिंह श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागंज)
मायावन, श्री बी० (चिदाम्बरम)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहाबाद)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगूसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुत्तुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड)
मुन्शी, श्री प्रिय रंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनन्तम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)
मुरमू, श्री योगेशचन्द्र (राजमहल)

मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)
मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पीलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)
मोहम्मद खुदाबक्श, श्री (मुर्शिदाबाद)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)
मोहम्मद यूसूफ़, श्री (सिवान)
मोहम्मद शरीफ़, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ़० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह (बदायूं)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधेपुरा)
यादव, श्री शरद (जबलपुर)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबहादुर, सिंह श्री (सिधी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिंकील)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजदेवसिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० बी० जी० (विश्वखापत्तनम)
राठिया, श्री उमेद सिंह (रायगढ़)
राधाकृष्णन, श्री एस० (कुडलूर)
रामकवार, श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
राम दयाल, श्री (बिजनौर)
रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)
राम धन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
राम सिंह भाई, श्री (इन्दौर)
राम हेडाऊ, श्री (रामटेक)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छप्परा)
राम सुरत प्रसाद, श्री (बासगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप, श्री (राबर्टसगंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई, ए० (भद्राचलम)
राव, श्री नागेश्वर (मचिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाड़ा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद (ओंगोल)

राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, डा० बी० के० आर वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकीनाडा)
रिछारिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोदंडा रामी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिंहा (चित्तूर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री पी० वी० (कावली)
रेड्डी, श्री बी० एन० (निरायालगुडा)
रेड्डी, श्री सिदराम (गुलबर्गा)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिल्लोर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीकांतम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)
लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडिवनम)
लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्रीपरेम्बदूर)
लम्बोदर बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी, भाई श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लिमये, श्री मधु (बांका)
लुतफ़ल हक, श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फ़ूलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बाल गोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटलबिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजयपाल सिंह, श्री (मुजफ्फ़रनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ़)
विश्वनाथन, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुदुकोटे)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुब्बया, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ़)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शंकर दयाल, सिंह (चतरा)
शफ़कत जंग, श्री (कराना)
शफ़ी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ, श्री (सैदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)

शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज खां, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय, श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुनझनु)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलोर)
शेर सिंह, प्रो० (झज्जर)
शैलानी, श्री चन्द (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरुचेंडूर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (मिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फ़तेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महाराजगंज)
सतीशचन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलियाना श्री (मिजोरम)
सांघी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साठे, श्री वसन्त (अकोला)
साधुराम, श्री (फ़िलौर)
सामन्त, श्री एस० सी० (तामलुक)
सामिनाथन, श्री ए० पी० (गोबीचेट्टिपलयम)
साल्वे, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतूल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्री श्याम, श्रीमती (आंवला)
साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (वीरभूम)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरभंज)
सिन्हा, श्री धर्मवीर, (बाढ़)
सिन्हा, श्री आर० के० (फ़ैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री नवल किशोर (मुजफ़्फ़रपुर)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फ़ूलपुर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, प्रो० (नालन्दा)
सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती बी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावलु, श्री (मयूरम)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)
सेकैरा, श्री इराज्मुद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (काजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)

सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)

सेन, डा० रानेन (बारसाट)

सेन, श्री राबिन (आसनसोल)

सैनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)

सोखी, सरदार स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)

सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजावूर)

सोलंकी, श्री सोम चन्द (गांधीनगर)

सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)

सोहनलाल, श्री टी० (करौलबाग)

स्टीफ़न, श्री सी० एम० मुवत्तु (पुजा)

स्वर्ण सिंह, श्री (जालंधर)

स्वामीनाथन, श्री आर० वी० (मदुरै)

स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोपपल)

स्वैल, श्री जी० जी० (स्वायत्तशासी जिले)

(ह)

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)

हनुमन्तैया, श्री के० (बंगलौर)

हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)

हरि सिंह, श्री (खुर्जा)

हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)

हालदार, श्री माधुर्य्य (मथुरापुर)

हाल्दर, श्री कृष्णचन्द, (औसग्राम)

हाशिम श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)

हुडा, श्री नुरुल (कछार)

होरो, श्री एन० ई० (खुन्टी)

लोक सभा

अध्यक्ष

डा० जी० एस० ढिल्लों

उपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री भागवत झा आजाद

श्री एच० के० एल० भगत

श्री इससाक सम्भली

श्री वसंत साठे

श्री सी० एम० स्टीफ़न

श्री जी० विश्वनाथन्

महासचिव

श्री श्याम लाल शकधर

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अंतरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री, तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री	श्रीमती इन्दिरा गांधी
विदेश मंत्री	श्री यशवन्तराव चव्हाण
कृषि और सिंचाई मंत्री	श्री जगजीवन राम
रक्षा मंत्री	श्री स्वर्ण सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्री	श्री उमाशंकर दीक्षित
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
पैट्रोलियम और रसायन मंत्री	श्री के० डी० मालवीय
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री	श्री टी० ए० पाई
निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री	श्री के० रघुरामैया
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
गृह मंत्री	श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी
संचार मंत्री	डा० शंकर दयाल शर्मा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
वित्त मंत्री	श्री सी० सुब्रह्मण्यम
रेल मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी

मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री आई० के० गुजराल
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री आर० के० खाडिलकर
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० नूरूल हसन
ऊर्जा मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त

श्रम मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
इस्पात और खान मंत्री	श्री चन्द्रजीत यादव

राज्य मंत्री

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री के० आर० गणेश
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	महिषी डा० सरोजिनी
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री बी० पी० मौर्य
गृह मंत्रालय, कार्मिक और शासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री प्रणब कुमार मुखर्जी
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० पी० शर्मा
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एल० एम० त्रिवेदी

उप–मंत्री

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री वेदव्रत बरुआ
विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बिपिनपाल दास
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० के० एम० इसहाक
पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सी० पी० माझी
गृह मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ़० एस० मोहसिन

1273 LS—2

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
संचार मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री प्रभुदास पटेल
रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री बी० शंकरानन्द
ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री	प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुखदेव प्रसाद
वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी
रेल मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बूटा सिंह
निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री दलबीर सिंह
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री केदार नाथ सिंह
वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वेंकटस्वामी
श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बाल गोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 4 अगस्त, 1975/13 श्रावण, 1897 (शक)

Monday, August 4, 1975/Sravana 13, 1897 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCES

अध्यक्ष महोदय : मुझे बड़े दुख के साथ सभा को सूचित करना है कि हमारे वर्तमान सदस्य चौधरी साधुराम तथा भूतपूर्व सहयोगी श्री भागीरथी महापात्र का निधन हो गया है।

चौधरी साधुराम की आयु 66 वर्ष थी। 1 अगस्त, 1975 को फगवाड़ा (पंजाब) में उनका स्वर्गवास हो गया। वह वर्ष 1957 में पहली बार लोक सभा के सदस्य चुने गये थे तथा तब से अब तक लगातार लोक सभा के हर चुनाव में सफल होते रहे हैं। वह पहले राज्य विधान सभा के सदस्य तथा तत्कालीन पैप्सू राज्य में उप गृह मन्त्री भी रहे। वयोवृद्ध स्वतन्त्रता सेनानी चौधरी साधुराम श्रमिकों तथा पददलितों की हालत सुधारने में सदा आगे रहते थे। वह एक साधारण, मिलनसार और स्पष्टवादी व्यक्ति थे। उनका पंजाब में अनेक सामाजिक तथा सांस्कृतिक संगठनों से सम्बन्ध था। लोक सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने सदन की कार्यवाहियों में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा समाज के दलित और पिछड़े वर्गों की दशा सुधारने में अत्यधिक कारगर ढंग से कार्य किया। वह 1 अगस्त को स्वर्गवास से कुछ घण्टे पहले तक सभा में मौजूद थे तथा कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि मौत इतनी जल्दी उन्हें हम से छीन लेगी।

श्री भागीरथी महापात्र 1945—47 में केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य थे। वह 1956 से 1962 तक राज्य सभा के सदस्य थे। वह वयोवृद्ध स्वतन्त्रता सेनानी थे तथा वर्ष 1930–33 तक जेल में रहे। वह अनेक शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक संगठनों से सम्बन्धित थे। वर्ष 1957-58 में वह राज्य सभा सम्बन्धी संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। 2 अगस्त, 1975 को 83 वर्ष की आयु में कटक में उनका देहान्त हो गया।

हमें इन मित्रों के निधन पर गहरा दुख है ।

अब सदस्यगण कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े होंगे ।

तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ देर मौन खड़े रहे ।

The members there stood in silence for a short while.

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

जुलाई, 1975 में सरकार द्वारा जारी किये गये बाजार ऋणों सम्बन्धी विवरण

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): मैं जुलाई, 1975 में भारत सरकार द्वारा जारी किये गये बाजार ऋणों का परिमाण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 9920/75]

मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण

संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मन्त्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गयी प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूं :—

चौथी लोक सभा

(एक) विवरण संख्या 29 . . . ग्यारहवां सत्र 1970

पांचवीं लोक सभा

(दो) विवरण संख्या 18 . . . . आठवां सत्र 1973

(तीन) विवरण संख्या 17 . . . दसवां सत्र, 1974

(चार) विवरण संख्या 10 . . . ग्यारहवां सत्र, 1974

(पांच) विवरण संख्या 9 . . . . बारहवां सत्र, 1974

(छः) विवरण संख्या 9 . . . . तेरहवां सत्र, 1975

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 9921/75]

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव : महोदय, मुझे महासचिव, राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देनी है —

(एक) 'राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 1 अगस्त, 1975 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 31 जुलाई, 1975 को पास किये गये भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, 1975 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गयी है।'

(दो) 'राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 1 अगस्त, 1975 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 31 जुलाई, 1975 को पास किये गये कृषिक पुनर्वित्त निगम (संशोधन) विधेयक, 1975 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गयी है।'

(तीन) 'राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 115 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 1 अगस्त, 1975 की अपनी बैठक में तार यन्त्र तार (विधि विरुद्ध कब्जा) संशोधन विधेयक, 1974 में लोक सभा द्वारा 30 जुलाई, 1975 को किये गये निम्नलिखित संशोधनों से सहमत हो गयी है।'

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, में—

"पच्चीसवें" के स्थान पर "छब्बीसवें" प्रतिस्थापित किया जाये।

खण्ड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4, में—

"1974" के स्थान पर "1975" प्रतिस्थापित किया जाये।

(चार) मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 1 अगस्त, 1975 को हुई अपनी बैठक में संविधान (32 वां संशोधन) विधेयक, 1973 सम्बन्धी संयुक्त समिति के बारे में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया है:—

"कि राज्य सभा 1 अगस्त, 1975 की अपनी बैठक में श्री निरेन घोष की राज्य सभा की सदस्यता से निवृत्ति के कारण रिक्त हुए स्थान पर संविधान (32वां संशोधन) विधेयक, 1973 सम्बन्धी संयुक्त समिति में राज्य सभा का 1

सदस्य नियुक्त करने सम्बन्धी लोक सभा की सिफारिश से सहमत है और संकल्प करती है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए श्री सिलिल कुमार गांगुली, सदस्य, राज्य सभा, को उक्त संयुक्त समिति में नियुक्त किया जाये ।"

विधयकों पर अनुमति

ASSENT TO BILL

महासचिव : महोदय, मैं चालू सत्र के दौरान संसद् को दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित आठ विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) पाण्डिचेरी विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1975

(2) नागालैण्ड राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1975

(3) भारत रक्षा (संशोधन) विधयक, 1975

(4) केरल विधान सभा (कार्यावधि का विस्तारण) विधेयक, 1975

(5) वित्त (संशोधन) विधेयक, 1975

(6) विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1975

(7) विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1975

(8) कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक, 1975

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTING OF THE HOUSE

22वाँ प्रतिवेदन

श्री माधोराम शर्मा (करनाल) : मैं सभा की बैठको से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का 22वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

73 वां प्रतिवेदन

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : मैं भारतीय तेल निगम लिमिटेड, (विपणन प्रभाग) के सम्बन्ध में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 49वें प्रतिवेदन में दी गयी सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में समिति का 73वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

भारत के मुख्य न्यायाधीश पर 20 मार्च, 1975 को हथगोले फेंके जाने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT ON THE CASE RELATING TO THROWING OF HAND GRENADES ON CHIEF JUSTICE OF INDIA ON MARCH 20, 1975

गृह मंत्रालय, कार्मिक विभाग और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : सभा को स्मरण होगा कि भगवानदास रोड और तिलक मार्ग नई दिल्ली के चौराहे पर दो हथगोले जो चालू स्थिति में थे भारत के मुख्य न्यायाधीश की कार में जबकि वे 20 मार्च, 1975 को लगभग 4–15 बजे अपराह्न अपने घर की ओर जा रहे थे, फेंके गये। इस अपराध के सम्बन्ध में एक मामला भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 और भारतीय विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 6 के अधीन पुलिस थाना, तिलक मार्ग, नई दिल्ली में दर्ज किया गया था। दिल्ली प्रशासन के कहने पर इस मामले की जांच 30–6–75 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने हाथ में ले ली।

इस मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। हालांकि इस स्टेज पर विस्तार से ब्यौरा दिया जाना लोकहित में नहीं होगा, फ़िर भी हम इस मामले के कुछ मुख्य तथ्यों के बारे में सदन को विश्वास में लेना चाहेंगे।

इस हिंसाजनक कार्य के लिए षड्यन्त्र मार्च, 1975 के शुरू में किसी समय कट्टरपंथी आनन्द मार्गियों के एक दल द्वारा रचा गया था, जिसके मुख्य मेम्बर सन्तोषानन्द, सुदेवानन्द तथा विक्रम थे। अब जो साक्ष्य रिकार्ड में आये हैं उनके अनुसार वास्तव में सन्तोषानन्द और सुदेवानन्द ने एक-एक हथगोला फ़ेंका था और विक्रम उनके साथ घटनास्थल पर मौजूद था। हथगोला फ़ेंकने के बाद सन्तोषानन्द और सुदेवानन्द कुछ समय के लिए एक कमरे में ठहरे जो उनके लिए फ़र्जी नाम से आरक्षित करा लिया गया था। जब वे वहां ठहरे हुए थे तो सन्तोषानन्द ने हिन्दी और अंग्रेज़ी में कुछ पत्र लिखवाये जिन्हें विभिन्न पतों पर भेजा गया, था। इनमें से एक धमकी वाला पत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी भेजा गया था। सन्तोषानन्द, सुदेवानन्द और विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया है।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सन्तोषानन्द, सुदेवानन्द और विक्रम तथा कुछ अन्य लोगों की सह-अपराधिता को स्थापित करने के लिए न केवल ज़बानी ही बल्कि दस्तावेज़ी साक्ष्य भी प्राप्त हो गये हैं और उनके विरुद्ध एक आरोप पत्र शीघ्र ही अदालत में दायर किया जायेगा।

निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक

ELECTION LAWS (AMENDMENT) BILL

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और भारतीय दण्ड संहिता का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

श्री मोहन धारिया (पना) : अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निदेश 19(ख) के अन्तर्गत यह स्पष्ट है कि विधेयक को परिचालित करने के लिये कम से कम दो दिन अवश्य दिये जाने चाहियें। निदेश

[श्री मोहन धारिया]

के अनुसार इस शर्त में वैध कारणों से छूट दी जा सकती है । परन्तु विधयक के ज्ञापन में कोई वैध कारण नहीं दिया गया है । इसमें केवल इतना ही कहा गया है कि इस बात को देखते हुए कि संसद् का वर्तमान सत्र क्योंकि बहुत थोड़ी अवधि के लिये है, इसलिये अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेश संख्या 19ख का पालन नहीं किया जा सकता । यह कोई वैध कारण नहीं है । क्या यह विधेयक इसलिये पुरःस्थापित किया जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय प्रधान मन्त्री की अपील पर 11 अगस्त से विचार आरम्भ करेगा ?

निर्वाचन सुधारों के सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री तथा श्री रघुरामैया ने यह आश्वासन दिया था कि इस सम्बन्ध में विपक्षी दलों तथा सदन के सभी वर्गों को विश्वास में लिया जायेगा । अतः आश्वासन दिये जाने के बाद सरकार का यह कर्तव्य है कि सभा के सभी पक्षों को विश्वास में ले । इसलिये मैं समझता हूं कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की इस प्रकार अनुमति देना उचित नहीं है ।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : चूंकि मेरा नाम लिया गया है, इसलिये मेरा कर्तव्य है कि मैं स्थिति को स्पष्ट करूं । निर्वाचन सुधारों के बारे में हमने विपक्षी दलों से बातचीत आरम्भ तो की थी, परन्तु जहां तक मुझे याद है, वार्ता स्थगित कर दी गई थी, क्योंकि वार्ता के लिये जो तिथि निश्चित की गई थी, विपक्ष ने उसे स्वीकार नहीं किया और इस बीच सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दी गई ।

श्री एच० आर० गोखले : आपने दो दिन सम्बन्धी शर्त से पहले ही छूट दे दी है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और भारतीय दण्ड संहिता का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री एच० आर० गोखले : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

आर्थिक प्रगति के लिये नये कार्य क्रम के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE: NEW PROGRAMME FOR ECONOMIC PROGRESS

अध्यक्ष महोदय : श्री मूल चन्द डागा अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

Shri M. C. Daga (Pali): Shri Nehru once compared India to an elephant—intelligent, strong and dignified but heavy, lumbering and slow—which, when provoked, can run faster than a champion sprinter. The analogy could not have come at a more appropriate time. Events of far reaching consequence have happened in the last three weeks and we see evidence of the mammoth's movement in the initial impact it has already made on every one.

The emergency has shaken the country. The feeling of disappointment has vanished. The people are now very hopeful. In fact it is a period for trial for Congress Organisation and Congress Government. If they succeed in implementing the 20 point economic programme announced by the Prime Minister they will regain the confidence of the masses of the country.

Apart from ,this economic programme certain other steps should also be undertaken. There is great need for undertaking cleanliness drive throughout the country. The local bodies—Panchayats, Municipal Committees and Municipal Corporation should wage a war against insanitation as cleanliness is next to godliness. All slums should be removed and healthy living conditions should be created.

The character of the people is of basic importance for the development of the nation. So all stunt and sexy films should be banned and all anti-social ele? ments should be sent behind the bars.

The country is not for a handful of politicians, industrialists, and high ranking Government officers, but the weakests of the week should feel that it is his country and the development of the country rests on his shoulders.

The Congress President has asked the Congressmen to declare their land and property. But what about the land already transferred in the names of the relatives? Such land should also be declared. The land should belong to the actual tiller.

In USA and USSR there is 85 per cent utilisation of water. But in our country it is only 55 per cent. Three fourth of our land is totally dependent on rains for irrigation and the poor farmers are not getting any benefit of irrigation facilities. There should be a scheme to provide water to such people at cheaper rates.

The students are the strength of the country. Apart from studies games should be made compulsory for them and there should be a rule that if a student did not go to the playground he would not be allowed to appear in the examination.

The Ministers should set an example of simplicity and austerity. The administration should be geared up. Corruption, red tapism and bureaucracy should be eradicated ,and Article 311 of the Constitution should be abrogated. Free legal aid should be made available to the poor. We have been advocating for free legal aid to for the poor since long, but nothing has so far been done in this regard.

The Government servants should be persons of "integrity, stability and reliability". The Government officers have been indulging in nepotism and corrupt practices. The Government officers should be asked to declare their assets. The administration should be cleaned and for this purpose the services of Members of Parliament should also be utilised.

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : प्रधान मंत्री ने देश को 20-सूत्री कार्यक्रम दे कर बहुत अच्छा कार्य किया है। यद्यपि यह कोई नया कार्यक्रम नहीं है और पहले भी बहुत से अच्छे कार्यक्रम लाये गये हैं लेकिन वे सभी क्रियान्यवन की स्थिति में निष्फल सिद्ध हुए हैं। अब इस आपात स्थिति का लाभ उठा कर यह 20-सूत्री कार्यक्रम पूर्णतया क्रियान्वित हो जायेगा।

[श्री डी० एन० तिवारी]

हम ने अतीत में निस्सन्देह काफी प्रगति की है लेकिन यह भी सच है कि हम कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे बिजली उत्पादन, गरीबी उन्मूलन, क्षेत्रीय असन्तुलन निवारण, आदि में पीछे रह गये हैं। राज्यों के बीच असमानता तथा एक राज्य के जिलों में असमानता बहुत बढ़ गई है। विभिन्न राज्यों में कुछ जिलों को पिछड़े जिले घोषित कर दिया गया है। हमें अभी यह जानना है कि इन जिलों में कितनी प्रगति हुई है।

जहां तक बिहार का सम्बन्ध है यह तीन भागों, उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार और छोटा नागपुर में बंटा है। यहां किसी भी भाग की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। वे देश के उन्नत राज्यों के बिल्कुल समान नहीं हैं। उत्तरी बिहार का विशेष उल्लेख करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के साथ लगने वाला बिहार का यह भाग समूचे देश का सब से अधिक पिछड़ा क्षेत्र है। वहां कृषि भूमि अत्यन्त उपजाऊ है लेकिन वहां प्रति वर्ष सूखा और बाढ़ का प्रकोप होता है और इसीलिये वहां के लोगों की दशा बड़ी शोचनीय है। क्या इस क्षेत्र की स्थिति में सुधार करने हेतु इस 21-सूत्री कार्यक्रम में इस क्षेत्र में और विशेष उपाय करने का विचार किया गया है? वित्त मंत्री को इस क्षेत्र के लिये कुछ करना चाहिये अन्यथा हम सदैव ही पिछड़े रहेंगे।

उत्तरी बिहार में कुछेक पुरानी चीजों के अलावा वहां कोई अच्छा उद्योग नहीं है यद्यपि राज्य में पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन लोगों के पास उद्योग लगाने के लिये धन नहीं है। वित्त मंत्री महोदय को ईस बारे में राज्य को सहायता करनी चाहिये।

Government have all the powers to implement 20-point programme. Government should ensure that all the targets are fully achieved. First of all, all the present projects should be completed. We should take every care to remove regional imbalances. Priorities should be fixed for implementing this programme.

Work on Gandak Project has been in progress for the last 15 years and we have spent more than 100 crores of rupees thereon. But still the work has not been completed. Now the time is ripe for completing the work on this project expeditiously.

Bihar has been neglected a great deal in respect of power projects, with the result that the per capita consumption of electricity in Bihar is 19 units only whereas it is 100 units in Madras. The Central schemes approved for this State have been diverted to other States. Thus, the backwardness of the State cannot be removed. It is high time that more and more attention is paid towards this State so that it may catch up with other States and the poverty of the people there is removed.

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur): We have been hearing for a long time that economic structure of the country would be socialistic. But nothing concrete has been done so far in this regard.

Since the announcement of this new programme by the Prime Minister, there has been much talk about it in the country but there has been no concrete results. The mill owners have no doubt given an assurance that they support the programme but they have not acted on it. In Kanpur many mills are still closed and the workers have been thrown on the roads. In the circumstances we have failed to create confidence in the people that we would be able to fulfil what we have been saying.

During the last few days after the declaration of emergency there is some fall in the prices of certain commodities. But now they are again going up. This has shaken the confidence of the people.

One important thing about this emergency is that the difficulties of the small shopkeepers have increased manifold. It is very difficult for them to display the prices of all the things sold by them. On failing to do so, many of the shopkeepers have been sent to jail. This is very improper. The practical difficulties of the shopkeepers in this regard should be considered and some solution should be found out.

Our problems cannot be solved without bringing in socialism in the country. Have we been able to control price rise and remove unemployment and poverty from the country? In Eastern Uttar Pradesh the conditions are very miserable on account of its backwardness. Even though the Patel Commission has made specific recommendations for the development of that area, they remain unimplemented.

So far as land distribution is concerned, in my district not even one inch of land has been distributed during the last one year. But fictitious figures are sent to the Government. In this way the programme will never be implemented.

As regards railway strike, it has been called off long back and the employees have resumed their duties. Still 150 employees have been discharged in the N.E. Railway on the charge that they were asking others to stay away from work. This charge is altogether wrong and baseless.

The Sugar mill-owners of Uttar Pradesh have by their loot made the people of the State more poor. This emergency has provided a very fine opportunity for nationalising the sugar mills. It is hoped that the Government would fulfil this long charished desire of a large number of people.

There is a serious power crisis in our State. The electricity tax has been increased. Yet the supply is very erratic. As a result, the farmers are in great difficulty. Since this programme talks about increasing power production, it should be implemented fully so that the farmers may get some relief.

This 20-point programme has been welcomed throughout the country. The Government has again got an opportunity of regaining the confidence of the people by effectively implementing it. Our party is prepared to extend full cooperation in this regard.

Shri K. G. Deshmukh (Amravati): Several items under 20-point economic programme have already been adopted by the Congress and they have been making efforts to implement these programmes. The main necessities of people in general are food, clothing and housing. Adequate attention has not been paid in our plans to increase the agricultural production. If sincere efforts are really made to increse the productivity of land in Northern India, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh and Tamil Nadu, there will be no scarcity of food in this country. The land ceiling laws have not been implemented so far. Then, seeds and fertilisers and also the necessary capital have to be supplied to the poor farmers for bringing about higher agricultural production. The present emergency should be utilised for taking these steps.

In regard to clothing, more attention should be paid to the production of standard cloth. It is unfair that textile mills produce mercerised and superfine cloth in a large quantity than that of the standard cloth which is used by 80 per cent of our people. The production of superfine cloth should be stopped. The trend of rise in the price of this cloth has also to be controlled.. Larger production of standard cloth should be brought about.

The rural labourers have no houses to live in. Something has got to be done to provide houses to those labourers and also to those workers who are working in big cities like Bombay and Madras. Measures should be taken to provide houses to rural people on the lines adopted by the Maharashtra State Government, under which the labourers have not to pay anything. In the present emergency, we can take up the implementation of 20-point economic programme more seriously.

डा० जी० एस० मेलकोटे (हैदराबाद) : मैं प्रधान मंत्री द्वारा घोषित आर्थिक कार्यक्रम और जारी किये गये अध्यादेश का स्वागत करता हूं। देश में एक नए वातावरण का निर्माण हुआ है। गत एक-दो मास से विद्यमान वातावरण तथा कुछ वर्षों की स्थिति को देखते हुए यह एक सुखद परिवर्तन है। इस के अच्छे परिणाम निकले हैं। मूल्यों में कमी हुई है जिसका लोगों ने स्वागत किया है।

[**श्री सी० एम० स्टीफन पीठासीन हुए**
SHRI C. M. STEPHEN *in the Chair.*]

सभी क्षेत्रों में अनुशासन और नियमितता आई है। चोर बाजारियों को पकड़ा गया है। यह सब बहुत पहले होना चाहिए था परन्तु अभी भी इसका स्वागत है।

पिछले 27–28 वर्षों में हमने जो उन्नति की है वह कम नहीं है। विश्व के अन्य किसी भी देश ने इतने कम समय में इतनी उन्नति नहीं की। चीन, रूस जर्मनी अथवा जापान से हम तुलना नहीं कर सकते क्योंकि वे विदेशी सत्ता के अधीन नहीं थे, वे स्वतन्त्र राष्ट्र थे।

यह कहा जाता है कि इस से बेहतर काम हो सकता था। ऐसा सदैव हो सकता है। यदि अपेक्षित उन्नति नहीं हो पाई है तो इसका कारण यह है कि सरकार जो कुछ अब कर रही है, वह उस ने पहले नहीं किया।

पिछले एक महीने में देश में अनुशासन आया है, उत्पादन में वृद्धि हुई है तथा जनता में विश्वास की भावना आई है। पहले भी अध्यादेशों के जारी होने पर ऐसा हुआ है परन्तु उसके समाप्त होते ही फिर ढील आ गई है। अतः हमें इस सम्बन्ध में सावधान रहना है।

बाजार में एक बात यह देखने में आई है कि दुकानदार किसी वस्तु के मूल्य सूची के अनुसार मांगे जाने पर यह कह देते हैं कि अभी अभी स्टाक खत्म हो गया है। लोग दफ्तरों के समय पर तो आते हैं, परन्तु काम कितना करते हैं? इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा सभी क्षेत्रों में हो रहा है। इसके लिये हम किसी एक दल को दोषी नहीं ठहरा सकते। हम सभी इस के दोषी हैं। अतः यह समय स्थिति में पूर्ण सुधार के लिए सब से उचित है।

होटलों में उचित मूल्य पर अच्छा और पौष्टिक आहार नहीं मिलता। उन्होंने अपने दाम कुछ गिराए हैं परन्तु इतने से काम नहीं चलता। क्या अभी भी एक गरीब आदमी वहां उचित मूल्य पर अच्छा खाना खा सकता है? यदि नहीं तो हम उस बेचारे को क्या दे रहे हैं?

सहयोगी उद्योगों के लोग कहते हैं कि उनका उत्पाद बड़े उद्योगों को चला जाता है और बाजार में नहीं आता। अचानक ही वह बाजार से गायब हो जाता है। इस की रोक थाम का प्रबन्ध किया जाना चाहिये।

ये सब बातें आपात स्थिति में भी हो रही हैं। इन पर नियंत्रण किया जाए जिससे जन साधारण को उसकी आवश्यकता की वस्तुएं मिल सकें।

मैं प्रधान मंत्री को ऐसा वातावरण बनाने के लिए बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आर्थिक प्रगति के आड़े आने वाली हर बुराई को दूर किया जाएगा।

Shri Genda Singh (Padrauna): Smt. Indira Gandhi has again shown a ray of hope for the poor. The Hon. Finance Minister has put forward certain concrete steps, but I want to bring forward certain other things and hope that proper attention will be given.

First thing that I want to say is that we should fulfil our assurances given to farmers and labourers. There may be some difficulties, but we should try to overcome them. Shri Subramaniam must be knowing the present sugar factories are situated in those areas where in British period there were Neel Factories. The farmers of that area have not forgotten the tyranny of those days. But these sugar factory owners are doing the same thing again. The farmers are not given remunerative price of their produce. The farmer of that area is still living in slavery. The farmers of Maharashtra and Karnataka are getting good price of their sugar-cane, because there the sugar factories are running in co-operative sector. So, I submit that if we want to give relief to the farmers of Uttar Pradesh and Bihar, they should be saved from the clutches of these private factory owners. This is the proper time to take action in that direction.

On account of the defects in the distribution system the needy are not getting the required cloth at fair price distribution system should be improved. Similarly, the distribution of sugar should also be improved.

Government should put a check on the activities of profiteers and monopolists. Unless it is done, no progress could be made.

श्री अमृत नाहाटा (बाड़मेर): आपात स्थिति का सापेक्ष मूल्यांकन करना अभी संम्भव नहीं है। कुछ दक्षिणपन्थी यह कह कर अपनी जिम्मेदारी से मुहं मोड़ना चाहते हैं कि श्री जयप्रकाश नारायण ने अपनी सीमा से आगे बढ़ कर कदम उठाया। उनका यह भी कहना है कि यह आपात स्थिति प्रधान मंत्री को सता में बनाए रखने के लिए घोषित की गई है। उन का यह कहना सर्वथा गलत है क्योंकि श्रीमती गांधी तो मात्र एक साधन हैं।

विपक्ष ने केवल स्थिति का राजनीतिक पहलू देखा है। वे लोकतन्त्र की नींव तक हिला देना चाहते थे। अतः देश में व्याप्त अराजकता को समाप्त करने के लिए आपात स्थिति की घोषणा करनी पड़ी। यदि विपक्ष को मनमानी करने दी जाती तो भारतीय समाज की गिर रही दीवारों के साथ साथ भारत की राजनीतिक दीवारें भी गिर जातीं। आपात स्थिति ने इसे रोका है।

[श्री अमृत नाहाटा]

देश में अनेकों प्रकार का कपड़ा भिन्न-भिन्न मिलें बनाती हैं। इस प्रकार सभी अपने कपड़े के विज्ञापन पर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। एक कोने में निर्मित कपड़ा दूसरे कोने में जाता है। इस प्रकार बहुत सा रुपया बेकार की मदों पर खर्च हो जाता है। और फलस्वरूप कपड़े का दाम बढ़ जाता है। इसलिए कपड़े का मानकीकरण किया जाए तथा सभी मिल एक मानक की कपड़ा निर्मित करें। हमारा कपड़ा विश्व के अन्य देशों के कपड़े से किस्म में कम नहीं है परन्तु उस की लागत अधिक होने के कारण उस का अधिक निर्यात नहीं किया जा सकता। सभी क्षेत्रों में यही स्थिति विद्यमान है और लूट मची है।

हम यह कहते हैं कि उत्पादन बढ़ाओं, नहीं तो खत्म हो जाओगे। लम्बे रेशे की कपास हम बड़ी मात्रा में आयात करते थे परन्तु अब हमारे पास यह इतनी मात्रा में है कि उस का कोई खरीदार तक नहीं। किसानों को अधिक उपज करने का क्या मिला। वे बर्बाद हो गये हैं। उन्हें उन की लागत भी नहीं मिली। अतः इस विपणन तंत्र में सुधार किया जाए और बिचौलियों की बीच में से हटाया जाए।

आपात स्थिति से कब तक काम चलाया जा सकता है। इसलिए हमें ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें ऐसे लोग हों जिन का 20–सूत्री कार्यक्रम में विश्वास हो, क्योंकि मात्र आशा का वातावरण बनाना ही पर्याप्त नहीं है। अतः लोगों में उत्साह पैदा करना चाहिए जिस से उन में आत्म विश्वास पैदा हो। इस कार्य के लिए हमें उत्साही और निष्ठावान कार्यकर्ताओं का सहयोग लेना चाहिए। वे लोगों को यह समझाएं कि यह 20-सूत्री कार्यक्रम नए सामाजिक ढांचे और समाजवादी भारत के निर्माण के कार्यक्रम का एक अंग है।

यह कहा गया है कि जब तक चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाता उत्पादकों को उचित मूल्य नहीं दिया जाता और कपड़ा उद्योग का मानकीकरण नहीं किया जाता तब तक हम अधिक लाभ नहीं कमा सकते। इस के लिए हमें राज्य की ओर से इन उद्योगों में अनुशासन और नियमितता लानी चाहिए। काले धन को समाप्त किया जाए और कर अपवंचन रोका जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई आमूल परिवर्तन किए जाएं। केवल कानून और व्यवस्था ही अराजकता की स्थिति को समाप्त कर सकती है।

यह 20–सूत्री कार्यक्रम एक राहत कार्यक्रम है। इस से देश की उत्पादन क्षमता और कार्यशक्ति को बल मिलेगा। किसानों को उत्पादानों का वितरण करने और ऋण देने के लिए नई प्रक्रिया अपनाई जाए। लोगों की ऋण ग्राह्यता को बढ़ाया जाए तथा उन्हें इस बात का विश्वास दिलाया जाए कि हम यह ऋण व्यवसाय के रूप में दे रहे हैं तथा उसे इसी रूप में लिया जाए।

मात्र कानून का पालन करने से बात नहीं बनेगी हमें कानून की भावना का निर्माण अपने आपमें करना चाहिए तथा सादा जीवन बिता कर औरों के लिए उदाहारण प्रस्तुत करना चाहिए।

अन्त में मैं माननीय वित्त मंत्री को उनकी तत्परता के लिए बधाई देता हूं तथा अन्य नेताओं से अनुरोध करता हूं कि वे ढिलाई न बरतें।

श्री वयालार रवि : (चिरयिंकिल) : इस आपात स्थिति की एक उल्लेखनीय उपलब्धि यह है कि हमेशा के इस मंहगाई के दिनों में भी केरल में चावल के भाव गिरे हैं।

यह कहा जा रहा है कि लोकतन्त्र समाप्त हो रहा है। परन्तु क्या लोकतन्त्र का उद्देश्य गरीबों का शोषण है ? यदि नहीं, तो इस आपात स्थिति का वह शोषण समाप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं जोकि अब तक हो रहा था।

देश में शिक्षा बड़ी मंहगी हो गई है। केरल जैसे राज्य में राजस्व का 36 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जाता है। देश में शिक्षा के दो स्तर नहीं होने चाहियें। कुछ बड़े शहरों में शिक्षा एक उद्योग बन गया है। सम्पन्न लोग काले धन की मदद से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला रहे हैं। अतः शिक्षा को सस्ता बनाया जाए।

यदि किसान अपना उत्पादन बढ़ाते हैं तो उन के उत्पाद का मूल्य गिर जाता है। और वे सोचने लगते हैं कि वे उत्पादन क्यों बढ़ायें। उन्हें उचित मूल्य दिलाने की ओर ध्यान दिया जाए। वित्त मंत्री इस ओर ध्यान दें। कृषि उत्पादन तथा कृषि उद्योग उत्पादन के मूल्यों में कोई सह-सम्बन्ध नहीं है। इस से किसानों को हानि होती है।

प्रचार किया जा रहा है कि जनसंख्या में हो रही तीव्र वृद्धि ही सब समस्याओं की जड़ है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। यह ठीक है कि देश की यह भी एक समस्या है और विभिन्न राज्यों में यह अपने-अपने रूप में है। किन्तु यह कहना सर्वथा गलत है कि यही सब समस्याओं की जड़ है। कहा गया है कि जनसंख्या में 25 करोड़ की वृद्धि हुई है। आज विश्व में कई राष्ट्र हैं जिनमें निर्धनता का बोलबाला है। हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए। विकास एक अनिवार्य वस्तु है। जिसका सम्बन्ध जनसंख्या के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इस समस्या का समाधान विकास और देश के संसाधनों के उपयोग पर निर्भर है। सरकार को इस मामले पर विचार करना चाहिए।

इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन उस तंत्र पर निर्भर करता है, जो आप इसे कार्यान्वित करने के लिए तैयार करेंगे। मैं इस बात पर जोर डालना चाहूंगा। आप अधिकारियों तथा नौकरशाहों को अधिक शक्तियां दे रहे हैं। मैं सभी को दोषी नहीं ठहराता। बुरे और भले, दोनों ही प्रकार के लोग होते हैं। वित्त मंत्री ने आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया है, मैं उसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। कई लोग निर्धन लोगों की खून-पसीने की कमाई पर विलासमय जीवन बिता रहे हैं। उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। नौकरशाही और अधिकारी वर्ग को प्राप्त इन शक्तियों का दुरुपयोग हो सकता है। वे इन शक्तियों का उपयोग गरीब और निस्सहाय लोगों को तंग करने के लिए कर सकते हैं। आपको ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। यदि वे इन शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य असफल रहेगा। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए हमें निष्ठावान, ईमानदार अधिकारियों, कार्यकर्ताओं तथा शासनिक तंत्र की आवश्यकता है, जो निर्धनों के कल्याण तथा जन सेवा में विश्वास रखते हैं।

इस बात पर भी पूरी तरह विचार किया जाना चाहिए जनशक्ति का किस तरह अधिकाधिक उपयोग किया जाये। हमारे देश में जनशक्ति व्यर्थ जा रही है। हर चीज की फिजूल खर्ची की बात की जा रही है, ऐसे में हमें जनशक्ति के समुचित उपयोग के बारे में भी सोचना चाहिए। इसका पूरा और प्रभाव शाली ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए।

1276 LS—2.

सभापति महोदय : अभी 40 सदस्यों ने भाषण देने हैं और हमारे पास समय केवल 225 मिनट रह हुए हैं। अतः अब प्रत्येक सदस्य केवल 7 मिनट बोलेगा।

श्री पी० आर० शिनाय : (उदीपी) : प्रधान मंत्री ने देश के उत्थान और प्रगति के लिए एक नए आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की है तथा देश के करोड़ों भूखे लोगों ने इसका स्वागत किया है । यह कार्यक्रम सही वक्त पर विकास की दिशा में एक सराहनीय कदम है । इस कार्यक्रम के कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है । किन्तु इसके लिए उन्हें धन चाहिए। अतः यह केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य है कि वह कार्यक्रम को समुचित ढंग से कार्यान्वित करने के लिए धन उपलब्ध करे।

इस कार्यक्रम में न्यूनतम कृषि मजदूरी निश्चित करने की व्यवस्था की गई है । इस सम्बन्ध में मात्र कानून पारित करने से कुछ नहीं होगा। यह भली प्रकार से लागू किया गया है या नहीं, यह देखने के लिए एक उपयुक्त तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए। सरकार बेगार के बारे में तुरन्त सर्वेक्षण करे। बेगार लेने के लिए दिए गए सभी ऋणों को पूर्णतया समाप्त किया जाये। घरेलू कर्मचारियों की स्थिति का भी अध्ययन किया जाये। मल-मूत्र हाथ पर अथवा सर पर उठा कर ले जाने, रिक्शा खींचने और होटलों में छोटी उम्र के लड़कों तथा लड़कियों के शोषण को समाप्त किया जाना चाहिए ।

गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को आवश्यक आवास भूमि देने और उस पर मकान बनाने के लिए करोड़ों रुपये की आवश्यकता है । केन्द्र इस कार्य के लिए राज्य सरकारों को पर्याप्त सहायता दे। जीवन बीमा निगम इन स्थानों पर मकान बना सकता है। केन्द्रीय सरकार जनता आवास योजना को सफल बनाने के लिए ऋण देने हेतु जीवन बीमा निगम को कहे।

कर्नाटक में भूमि सुधार अधिनियम लागू कर दिया गया है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 40,000 काश्तकार भूमि के मालिक बन गए हैं। उन्हें एक न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन करके उसका स्वामित्व प्राप्त करना होता है । न्यायाधिकरण इस कार्य के लिए एक माह में एक बार ही बैठता है । इस गति से सभी आवेदनों को निपटाने में 40 वर्ष लगेंगे। इस लिए मेरा सुझाव है कि वह प्रति दिन इन आवेदन पत्रों को निपटाने के लिए छः महीनों के अन्दर सभी मामलों को निपटाने के लिए अतिरिक्त न्यायाधिकरण स्थापित किए जायें।

विद्युत मंत्री ने बताया है कि चालू योजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। मेरे राज्य में काली पन बिजली परियोजना, हलादी पन बिजली परियोजना, कृष्णा नदी परियोजना और कावेरी नदी परियोजना सभी चालू परियोजनाएं हैं। किन्तु उन्हें चालू रखने के लिए धन नहीं है । केन्द्र को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बृहत तापीय परियोजना को हाथ में लेने से पहले ये परियोजनाएं पूरी हो जायें ।

श्री अर्जुन सेठी : (भद्रक) : प्रधान मंत्री द्वारा ग्रामीण ऋणों को समाप्त करने की घोषणा का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं। परन्तु अधिकतर मामलों में यह ऋण अलिखित होता है और इस कानून की हद से बाहर है । इसके अतिरिक्त ऋण लेने वाले को तब तक राहत नहीं मिल

सकती जब तक उसे अपनी खेती और अन्य आवश्यकताओं के लिए ऋण लेने के दूसरे साधन का विश्वास न हो जाये । इसलिए गरीब किसानों को महाजनों के पंजे से छुड़ाने का सबसे तात्कालिक साधन बुनियादी सहकारी समितियों को सक्रिय करना है । 90 प्रतिशत गांवों में ये समितियां स्थापित हो चुकी हैं। लेकिन इस समय अधिकांश सहकारी समितियों पर बड़े-बड़े जमींदारों का नियंत्रण है । यह जानने के लिए माप दंड निर्धारित करने का प्रयास किया जाना चाहिए कि कौन-कौन से किसान कृषक समुदाय के कमजोर वर्ग में आते हैं। ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को कुछ सरल बनाया जाना चाहिए ताकि किसानों की जरूरतों को यथाशीघ्र पूरा किया जा सके।

ग्रामीण विकास के लिए कड़ी योजनाएं बनाये जाने के बावजूद भी श्रमिक वर्ग, जो देश की कुल जनसंख्या का 9 प्रतिशत है, अपेक्षित है । फार्म श्रमिकों की समस्याओं को निपटाने के लिए कई विधान पारित किए गए लेकिन उनका कार्यान्वियन समुचित ढंग से नहीं किया गया। लगभग सभी राज्यों ने "न्यूनतम मजदूरी" निर्धारित की है । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी में व्याप्त अंतर को दूर किया जाना चाहिए।

यदि प्रधान मंत्री द्वारा घोषित 20 सूत्री कार्यक्रम जो समुचित ढंग से कार्यान्वित किया जाये तो उससे जनसाधारण तथा ग्रामों का काफी उद्धार हो सकता है । केवल आवश्यकता इस बात की है कि वर्तमान प्रशासनिक तंत्र की गति को बढ़ाया जाये। अन्यथा समूचा कार्यक्रम निरर्थक होगा। अतीत में हमारी कई नीतियां थी किन्तु तंत्र ने उनका ठीक ढंग से कार्यान्वियन नहीं किया। अतः सरकार को इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन सम्बन्धी पहलू पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापुर) : मैं इस 20 सूत्री कार्यक्रम का समर्थन करता हूं। जिनमें से 10 सूत्र आदिवासियों से सम्बन्धित हैं और शेष अप्रत्यक्ष रूप से आदिवासियों तथा समाज के कमजोर वर्गों से सम्बन्ध रखते हैं ।

सहकारी समितियों तथा बैंकों को गांवों में ग्रामीणों की सेवा करने हेतु पूरे-पूरे अवसर दिए जाने चाहिए। सहकारी समितियों सम्बन्धी कानूनों का संशोधन किया जाये ताकि वे अमीर किसानों की अपेक्षा निर्धन ग्रामीणों की प्रभावशाली ढंग से सेवा कर सकें।

सरकारी व्यय में मितव्ययता करनी बहुत ही जरूरी है क्योंकि कुल राशि का अधिकांश भाग प्रशासनिक पर ही व्यय कर दिया जाता है । यदि आदिवासियों के विकासहेतु राज्य सरकारों के पास धन नहीं है तो केन्द्र को इस हेतु सहायता प्रदान करनी चाहिए।

बेगार के बारे में अनेक अधिनियम तथा कानून हैं लेकिन इन्हें अब तक प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित नहीं किया गया है । सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए।

मेरा यह भी सुझाव है कि आदिवासी क्षेत्रों से 2 अक्तूबर से पहले शराब की सभी दुकानें हटा दी जानी चाहिएं। आदिवासी तथा परियोजना क्षेत्रों में कार्यान्वियन के लिए एक ही प्रशासन होना चाहिए। राज्य में अनेक प्रशासनिक कदम उठाये जाते हैं लेकिन परियोजना स्तर पर एक ही निर्णय तथा एक ही प्रशासन का होना अनिवार्य है । उन्हें शीघ्र निर्णय लेकर समयबद्ध कार्यक्रम पूरा करना चाहिए।

आदिवासी क्षेत्रों में भूमि सबसे महत्वपूर्ण समस्या है । उनके पास बहुत कम भूमि है । आदिवासियों के बीच भूमि हस्तांतरण की समस्या बहुत गम्भीर है । अतः भूमि वितरण सम्बन्धी सभी कानून 1947 से लागू किए जायें । नशाबन्दी नीति को सरकार को सैद्धान्तिक रूप में स्वीकार करके उसे शीघ्र कार्यान्वित करना चाहिए ।

Shri M. G. Uikey (Mandla): This 20-point economic programme has ushered in a new era in our country. The people of our country were disappointed because black marketing, profiteering, hoarding and goondaism, etc., were prevailing in our country. Corruption was rampant everywhere. But after declaring emergency, Government took stern action and rounded up a number of black marketeers, hoarders and other unscrupulous element. Every one all over the country welcomed the steps taken by the Government and people heaved a sigh of relief. Now they feel that they are safe.

In Madhya Pradesh, we propose to set up various committees at different levels, which will solve various problems of the people. The people will be helped in different ways. The committees will see that landles people are given land. They will see that all their problems are looked into.

Some big river projects are under construction. Lot of time is being taken to complete them. Some river water disputes are still unsettled. We should take up small irrigation projects so that poor farmers may get water for irrigation purposes. We should settle all the river water disputes during this emergency period. It is a good chance to solve inter-State water disputes.

People have to face a lot of difficulties in getting loans from the cooperative and nationalized Banks, because their procedure for advancing loans is very cumbersome. The rules in this regard should be simplified. The minister should look into it.

Family Planning should be made compulsory for all the Indians so that the gigantic problem of increasing population could be solved. It is time to solve our various problems. Corrupt officers should be removed and this economic programme should effectively be implemented.

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा): मैं प्रधान मंत्री के इस 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का स्वागत करता हूं । अब प्रत्येक को पता चल गया है कि आपात कालीन स्थिति की घोषणा किस उद्देश्य के लिए की गई है । बिना आपात स्थिति के यह 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वित करना संभव नहीं है । 1971–72 में हमने जनता को जो आश्वासन दिया, उसकों हम इस 20 सूत्री कार्यक्रम मे पूरा कर सकेंगे ।

प्रधान मंत्री देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने की इच्छुक थी । किन्तु प्रतिक्रियावादी तत्व हमेशा बाधक बनते रहे । आपको पता होगा कि बिहार, गुजरात में क्या हुआ । वहां की संसदीय ढंग से निर्वाचित सरकारों को गिरवाया गया । हर जगह घेराव किया जाने लगा । जन साधारण के सामान्य जीवन में बाधा उत्पन्न की गई । अन्त में सीमा यहां तक पहुंच गई कि सेना तथा पुलिस को भी भड़काया जाने लगा ।

प्रधान मंत्री की हार्दिक इच्छा थी कि इस तरह के आर्थिक कार्यक्रम चलाए जायें किन्तु बंगला देश युद्ध तथा अन्य बाधाओं के कारण यह संभव नहीं हो पाया।

20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत सब से प्रमुख कार्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी लाने का है। वस्तुतः यही एक ऐसी समस्या जिससे सम्बद्ध अन्य सभी समस्यायें हैं। देश में जनसाधारण की हालत बहुत खस्ता है तथा समाज का दुर्बल वर्ग इस 20 सूत्रीय कार्यक्रम से अच्छी खासी राहत पाने की आशा कर रहा है। अतः अब समय आ गया है जब कि हमें चोरबाजारी तथा जमाखोरी के विरुद्ध कठोर कदम उठाने चाहिये। जिन स्थानों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती हैं वहां गोदाम तथा सहकारी समितियां खोली जानी चाहिये। यदि ऐसी समितियां शिक्षित बेरोजगारों के माध्यम से चलवाई जायें तो उससे बेरोजगारी की समस्या का भी कुछ सीमा तक समाधान हो जायेगा।

दूसरी महत्वपूर्ण बात भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों को लागू करने की है। इस सम्बन्ध में कानूनों को शीघ्रता से लागू किया जाना चाहिये ताकि फालतू भूमि का आवंटन करके, भूमि का रिकार्ड भी संग्रहित किया जा सके। देश में आदिवासी लोगों को भूमि उपलब्ध करवाने तथा उन्हें सरकारी उपक्रमों में नौकरियां दिलवाने के लिए अपेक्षित कार्यवाही की जानी चाहिये। सरकार को ऐसे प्रबन्ध निदेशकों को बदल देना चाहिये जो सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों का कारगर ढंग से अनुसरण करने में असमर्थ रहते हैं। अनेक उपायुक्त ऐसे हैं जो आदिवासियों को भूमि के हस्तांतरण के मार्ग में रोड़ा अटका रहे हैं। अनेक ऐसे आदिवासी हैं जो पीढ़ियों से साहूकारों के चुंगल में फंसे आ रहे हैं। इस ओर अपेक्षित ध्यान दिया जाना चाहिये।

सहकारी समितियों के नाम पर आदिवासियों से भूमि हथियाने का नया तरीका अपनाया गया है। बिहार राज्य के रांची जिले में आदिवासियों की 30 एकड़ भूमि महालेखापाल की सहकारी समिति द्वारा हथिया ली गई है। अतः मेरा अनुरोध है कि आदिवासी भूमि के गैर-आदिवासी लोगों को हस्तान्तरण रोकने के लिए आदर्श अधिनियम बनाये जाने चाहिये। राज्य सरकारों को स्पष्ट निदेश दिये जाने चाहिये कि वह ऐसे अधिनियमों का कड़ाई से पालन करें। आदिवासी भूमि के गैर-कानूनी कब्ज़े को दाण्डिक अपराध बनाया जाना चाहिये।

समाज के सभी कमजोर वर्गों को सस्ते मकान उपलब्ध करवाने के लिये भी सरकार को उचित व्यवस्था करनी चाहिये। राज्य भर में कृषि श्रमिकों के लिए समान कार्य के लिए समान न्यूनतम मजूरी निश्चित की जानी चाहिये। इसी प्रकार हथकरघा उद्योग में काम करने वालों के लिए भी अपेक्षित सुविधायें जुटाने के लिये व्यवस्था की जानी चाहिये। इनकी सहकारी समितियों को अधिक धनराशि प्रदान की जानी चाहिये ताकि उन्हें साहुकारों के चंगुल में न फंसना पड़े।

शहरी क्षेत्रों में भूमि की अधिकतम सीमा, स्वामित्व तथा खाली भूमि के कब्ज़े से आदिवासी लोगों को काफी धक्का पहुंचा है। कुछ आदिवासी लोगों की जमीनें शहरों में भी हैं जिन्हें छलपूर्वं हस्तांतरित कर दिया गया है। अतः इससे आदिवासियों के हितों को गहरा आघात पहुंचा है।

अब मैं कार्यक्रम की मद संख्या 12 के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। वांचू समिति की सभी सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाना चाहिये। समिति के विचारानुसार सार्वजनिक क्षेत्र में हमने लगभग 38,000 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया हुआ है परन्तु उसमें व्याप्त अनेक

[श्री कार्तिक उरांव]

अनियमितताओं के फलस्वरूप हमें 25,00 करोड़ रुपये की हानि हो रही है। इस ओर अपेक्षित ध्यान दिया जाना चाहिये। यदि आवश्यकता हो तो सरकारी उपक्रम समिति के सदस्यों की संख्या को 15 या 20 से बढ़ा कर 100 तक किया जा सकता है। तथा उनके विभिन्न दल बना उनकी अलग अलग जिम्मेदारियां निश्चित की जा सकती हैं। मेरा निवेदन है कि भ्रष्ट अधिकारियों को किसी प्रकार का राजनीतिक संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ ही मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया।

श्री पी० के० घोष : (रांची) : वर्तमान 20 सूत्रीय कार्यक्रम का सम्पूर्ण देश में स्वागत किया गया है। मैं भी तहेदिल से इस कार्यक्रम का स्वागत करता हूं। आज देश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं। कुल राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने की काफी संभावना है। हमारा औद्योगिक उत्पादन गत वर्ष 2 प्रतिशत था तथा इस वर्ष इसके 6 प्रतिशत तक बढ़ जाने की संभावना है। अतः हमारा वर्तमान कार्यक्रम कई प्रकार से सर्वहितकारी है परन्तु वास्तविक प्रश्न उसकी उचित क्रियान्विति का है। हमारी नौकरशाही में ऐसे लोग हैं जो समाजवादी नीति में विश्वास नहीं रखते। अतः उनके माध्यम से ऐसी नीतियों की क्रियान्विति संभव नहीं है। अतः हमें इस कार्य के लिये उपयुक्त व्यक्तियों की खोज उन्हीं उपयुक्त स्थानों पर नियुक्त करना चाहिये। यदि आवश्यकता हो तो इस सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 311 में भी अपेक्षित संशोधन कर दिया जाना चाहिये ताकि गलत कार्य करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही किया जा सके हमें इन कार्यक्रमों की क्रियान्विति के लिये जनता तथा ग्रामीण स्तर के लोगों का सहयोग प्राप्त करना चाहिये। हमें सतर्क रहना चाहिये कि अवांछित व्यक्ति या बेईमान व्यक्ति किसी प्रकार से हमारे रास्ते में रोड़ा न अटका पायें।

मेरा सुझाव है कि प्रत्येक सरकारी कार्यालय में लोक शिकायत पुस्तक होनी चाहिये। हमें इस बात का उचित ध्यान रखना चाहिये कि इस शिकायत पुस्तक में जनता द्वारा जो भी शिकायतें दर्ज की जायें उन पर उचित कार्यवाही हो। कभी कभी लोग सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत लिखने में घबराते हैं ताकि उन्हें अदालतों आदि में न जाना पड़ जाये। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि शिकायतों को अदालतों का मामला न बनाया जाये।

मुझे यह जान कर खुशी हुई है कि थोक व्यापारियों से अपने स्टाक तथा मूल्य सूचियां लगाने के लिये कहा गया है। तथ्य तो यह है कि आपात स्थिति से पूर्व यह लोग अपने स्टाक का 75 प्रतिशत भाग काले धन से भरा करते थे। सरकार द्वारा लगाई गई इस रोक के फलस्वरूप अब यह अधिक स्टाक नहीं रख पायेंगे और न ही काले धन का उपयोग कर पायेंगे।

हमारे कुछ नौकरशाहों द्वारा परचून विक्रेताओं से भी स्टाक की सूचियां लगाने के आदेश दिये गये हैं। मैं समझता हूं कि ऐसा कर पाना उनके लिये बहुत कठिन होगा क्योंकि वह अनेक प्रकार की वस्तुएं बेचते हैं। अतः सरकार को थोक व्यापारियों के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिये। व्यापारियों तथा उद्योगपतियों के लिये भी कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त तय किये जाने चाहियें तथा राज्य सरकारों से उनकी पूर्ण क्रियान्विति के लिए कहा जाना चाहिये।

शहरी सम्पत्ति तथा भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कदम भी सराहनीय है। तथ्य तो यह है कि इन कदमों को क्रियान्विति से ही समाजवादी समाज की स्थापना सम्भव हो सकती है। व्यक्ति के सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा नकदी, कृषि, योग्य जमीन, शहरी सम्पत्ति, जेवरात, व्यापार तथा उद्योग आदि में लगी सम्पूर्ण पूंजी को इसमें शामिल कर लिया जाना चाहिये। यदि ऐसा न किया गया तो सम्भवतः वह लोग अपनी पूंजी को शहरी सम्पत्ति से हटा कर, अन्य साधनों में लगाना आरम्भ कर देंगे। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय मेरे सुझावों की ओर अपेक्षित ध्यान देंगे।

श्रीमती ए० गोंडके: (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय) : प्रधान मंत्री द्वारा घोषित आर्थिक कार्यक्रम का देश के गरीबों तथा हर वर्ग के लोगों द्वारा हार्दिक स्वागत किया गया है। यदि प्रधान मंत्री के कार्यक्रम को क्रियान्वित कर दिया जाता है तो उससे स्वर्ग धरती पर उतर आयेगा। समाज के गरीब तथा दुर्बल वर्ग को उससे काफी लाभ होगा। उदाहरणार्थ यदि सभी राज्य सरकारों द्वारा बेगार समाप्त कर दी जाती है तो इससे हमारे असंख्य मजदूरों को मुक्ति मिल जायेगी। इसके साथ ही यदि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाती है कि देश के किसी भी भाग में बच्चे मजदूरी न करें तो वह सोने में सुहागा होगा। मेरी सरकार से यही अपील है कि बच्चों द्वारा मजदूरी पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिये। ऐसे बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा देने के लिए भी कदम उठाये जाने चाहिये।

श्री कुरेशी ने स्वयं रेलों पर छापे मार मार कर बिना टिकट यात्रा करने वालों को पकड़ने का जो अभियान चलाया है वह भी काफी सराहनीय है। इससे सम्पूर्ण रेल विभाग में सतर्कता आ गई है। आज रेलवे में पहले की सी असावधानी तथा अनियमितता देखने को नहीं मिलती है।

मुझे इस बात का उल्लेख करते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि स्कूलों तथा कालिजों में चली आ रही अव्यवस्था तथा अनुशासनहीनता भी समाप्त हो गई है। विद्यार्थी अब पहले से कहीं अधिक अनुशासित हैं, वह अपनी पढ़ाई में अधिक रुचि ले रहे हैं। अध्यापक भी अपने कर्तव्य पालन में पहले से अधिक मेहनत कर रहे हैं। यह सारे अच्छे परिणाम रैगिंग समाप्त करने के फलस्वरूप ही देखने को मिले हैं।

यदि देश में वर्तमान 20 सूत्रीय कार्यक्रम को उचित ढंग से क्रियान्वित किया जाता है तो देश बहुत शीघ्रता से प्रगति की ओर अग्रसर होगा। मुझे आशा है कि हमारे मुख्य मंत्री इस कार्य की क्रियान्विति में अपेक्षित सहयोग देंगे।

Shri Mohan Swarup (Pilibhit): The economic programme announced by the Prime Minister has been welcomed by almost all sections of the people in the country. It is right also because political freedom is meaningless in the absence of economic freedom. This programme will go a long way in bringing economic freedom to our country.

I welcome and support the various steps taken by the Government to root out the evils of our economy. But my suggestion is that effective steps should be taken to curb the menace of black money. Ceiling should also be imposed on urban property.

The law and order situation in the country is going from bad to worse. Urbanization is taking place rapidly and the people from villages are rushing towards towns. Agriculture is being ignored and the people who have hardly any knowledge of agriculture, are branded as experts for fixing the agricultural prices.

[Shri Mohan Swarup]

The Scheduled and Backward classes in the country are still being ignored despite a number of legislations for their welfare. A new definition for backward class people should be evolved as a number of people fall under this category. The poor people should have the maximum benefit of this 20-point programme.

Regarding unemployment, my submission is that the pattern of education should be changed. Our education should be employment oriented.

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर) : मैं प्रधान मंत्री द्वारा घोषित 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम की सराहना न केवल देश के लोगों बल्कि सरकारी नीतियों के विरोधियों द्वारा भी की गई है। इस कार्यक्रम ने लोगों में आशा एवं उत्साह का संचार किया है।

इसके प्रभावी कार्यान्वियन के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी की जानी चाहिए और केन्द्र एवं राज्य के प्रशासनिक तंत्र के कायकरण में सुधार किया जाना चाहिए। भ्रष्ट एवं साम्प्रदायिक वृत्ति वाले सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देना चाहिए। भूमि की अधिकतम सीमा से बाहर की भूमि को भूमिहीनों एवं हरिजनों तथा आदिवासियों में बांट देना चाहिए। जो अधिकारी इस कार्यक्रम की उपेक्षा करते हैं उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। जीमखाना क्लब के पास काफी जमीन अप्रयुक्त पड़ी है। सरकार को चाहिए कि वह यह भूमि उनसे लेकर मध्य आय वर्ग के लोगों के बीच बांट दे। शहरी भूमि तथा सम्पत्ति की सीमा शीघ्र ही निर्धारित की जानी चाहिए। परिवार नियोजन कार्यक्रम की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

आश्चर्य की बात है कि आजादी के 28 वर्षो के बाद भी बेगार-प्रथा प्रचलित है। इसको शीघ्र ही समाप्त किया जाना चाहिए। बिहार में मजदूरों को न्यनतम मजूरी अधिनियम के अनुसार मजूरी नहीं मिलती। ठेकेदार और सरकारी कर्मचारी उनकी आधी मजूरी हड़प जाते हैं। कामकाजी महिलाओं को शाम के समय देर तक बिना वेतन के काम करने के लिए कहा जाता है। सरकार को इस मामले में शीघ्र कायवाही करनी चाहिए और दोषी व्यक्तियों को दण्ड देना चाहिए।

छोटे किसानों एवं दस्तकारों का ऋण माफ कर देना चाहिए। सिंचाई के लिए भूमिगत जल की व्यवस्था होनी चाहिए। बाढ़-नियंत्रण के लिए भी उपाय किये जाने चाहिए। विद्युत् उत्पादन को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कोयले का पर्याप्त मात्रा में खनन किया जाना चाहिए और उसे इस्पात संयंत्रों, बिजली घरों आदि को भेजना चाहिए। कोयले का आयात नहीं किया जाना चाहिए। हमारे देश में कोयले के पर्याप्त भंडार हैं।

विद्युत् हथकरघा बुनकरों की स्थिति अत्यन्त शोचनीय है। यदि हम इस कार्यक्रम को सही रूप से क्रियान्वित करना चाहते हैं तो हमें उनके कष्टों को दूर करना चाहिए।

आय-कर विभाग द्वारा शानदार कालोनियों के बड़े घरों पर छापा मारने के अच्छे परिणाम निकले हैं। ये छापे जारी रहने चाहिएं। कर अपवंचन करके जो भवन बनाये गये हैं, उन्हें जब्त कर लेना चाहिए।

आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग करने वालों को अधिक से अधिक सजा दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय सड़क परमिटों को अधिक से अधिक संख्या में जारी किया जाना चाहिए। विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं छात्रावासों में नियन्त्रित दर पर अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई से संरक्षकों एवं अभिभावकों को काफी राहत मिलेगी।

शिक्षा पूरी करने के बाद किसी व्यवसाय में लगने से पूर्व प्रशिक्षण अत्यन्त आवश्यक है। पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवश्यक चलती फिरती कर्मशालाएं खोली जानी चाहिएं।

अत में मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि 21-सूत्री कार्यक्रम का अच्छे ढंग से क्रियान्वयन किया जाये। अधिकारियों को चाहिए कि वे अपने अधिकारों का सही रूप में प्रयोग करें और यदि कोई सरकारी कर्मचारी लापरवाही करता है तो उसे कड़ी सजा दी जानी चाहिए।

***श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** (अडूर) : प्रतिक्रियावादियों एवं उग्रवादियों ने मिलकर देश में ऐसा षड्यन्त्र रचा जैसा भारत के इतिहास में कभी नहीं रचा गया था। हम ने इस चुनौती का साहस से सामना किया है। देश के पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी ने 21-सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की है। मैं इस आर्थिक कार्यक्रम का हार्दिक स्वागत करती हूं। कार्यक्रम की घोषणा के बाद कई वस्तुओं के दाम कम हुए हैं। भूमिहीन कृषकों को भूमि बांटने का कदम स्वागत है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच अतिरिक्त भूमि वितरित करने के लिए प्रशासन-तंत्र बनाया जाना चाहिए। कई राज्यों ने भूमि सुधार कानून लागू नहीं किया है। मेरा अनुरोध है कि इस कानून को सारे देश में लागू किया जाना चाहिए ताकि पीड़ित वर्गों को लाभ पहुंच सके।

बेगार प्रथा अभी भी प्रचलित है। हरिजनों पर हृदय-विदारक अत्याचार किये जा रहे हैं। केरल सरकार ने बेगार प्रथा को समाप्त करने के सम्बन्ध में एक कानून बनाया है और इस कानून को राष्ट्रपति के पास स्वीकृति हेतु भेजा है। आशा है कि राष्ट्रपति इस विधेयक को स्वीकृति दे देंगे।

उद्योग के विकास के लिए हमें कई योजनाएं बनानी होंगी। उद्योगों की स्थापना के मामले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। और उन्हें तकनीकी एवं आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। केरल में कई मुख्य सिंचाई परियोजनाएं विचाराधीन हैं। अन्य राज्यों में ऐसी कई परियोजनाएं विचाराधीन हैं। ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए।

केरल में लाखों नारियल उत्पादकों की स्थिति शोचनीय है। उनको दरिद्रता की स्थिति से मुक्त करने के लिए नारियल बोर्ड की तुरन्त स्थापना की जानी चाहिए। केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक की जानी चाहिए। काजू, मोटी इलायची, अदरक, काली मिर्च आदि केरल की मुख्य वाणिज्यिक फसलें हैं। इससे देश को काफी विदेशी मुद्रा की आय होती है। परन्तु खेद है कि सरकार ने इन फसलों के विकास की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया। केन्द्रीय सरकार को चाहिए

***मलयालम में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।**

Sumarised translated version based on English translation of the speech delivered in Malyalam.

[श्रीमती भार्गवी तनकप्पन]

वह राज्य को इस उद्देश्य हेतु उदारता पूर्वक आर्थिक सहायता दे । बड़े पैमाने पर काजू बागान लगाने की अत्यन्त आवश्यकता है। केरल सरकार ने इस बारे में योजना भी बनाई है। केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह सभी राज्यों को काजू बागान लगाने के लिए अनुदेश दे। केरल में कई काजू कारखाने बन्द पड़े हैं। इनको पुनः खुलवाने के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि केरल के गरीब लोग इन्हीं कारखानों पर आश्रित हैं।

यह प्रसन्नता की बात है कि 21 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिकता क्षेत्र बनाये गये हैं और इससे देश के आम लोगों को लाभ मिलेगा। आपातकालीन स्थिति में आर्थिक कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाना चाहिए। यह स्वागत योग्य कदम है कि स्कूली छात्रों को निःशुल्क पुस्तकें दी जायेंगी। केरल में यह कार्य शुरू किया है। केन्द्रीय सरकार को इस मामले में केरल सरकार को वित्तीय सहायता देनी चाहिए।

Shri Anadicharan Das (Jajpur): While supporting the 20-point programme announced by the Prime Minister, I would like to give some suggestions. We have in our country both the public sector and private sector. Unless we have any public sector, our production cannot increase. A bold step to bring all economic activity in the public sector should be taken now when there is emergency in the country. My second suggestion is that private capital should be reduced. Only then our production can be stepped up.

Thirdly, I will suggest that the entire land in our country should be brought under the control of village community. Agricultural production should be for the good of the entire community. There should also be proper distribution of agricultural produce.

The economic programme envisages that house sites will be provided to Harijans, Adivasis and the landless people. There are Harijans and adivasis who have settled on land belonging to zamindars, rajas and maharajas. My suggestion is that land should be given to these people. Eviction of these people from that land should not be allowed.

The proposal to abolish bonded labour is really welcome. The Government should act firmly to abolish bonded labour.

So far as rural debts are concerned, I would like to suggest that the system of the poor. But in fact they do not get any material gains from such agencies. branches to provide credit to the needy people. It will check exploitation of poor farmers by the money lenders.

Our Government have created Tribal Development Agencies for the welfare of the poor. But infact they do not get any material gains from such agencies. Facilities of education should be provided for children of weaker sections of the society so that their lot may improve.

Village industries are being run by the Khadi Commission. There is need to streamline the functioning of the Khadi Commission. Projects should be made for the welfare of tribals.

Shri Jambuwant Dhote (Nagpur): The 20-point economic programme is not a new programme. The ruling party has in its various sessions committed itself to various programmes included in this programme. I hope that the party-in-power will be able to do something to implement this 20-point programme.

Now the question arises whether the declaration of emergency was necessary for the implementation of 20-point programme? It is a fact that declaration of emergency has shown good results. But we should make proper use of this opportunity to develop our country. People obstructing the implementation of this programme should be put behind the bars. Arrested persons, who support this programme, should be released.

There are a number of obstacles in the way of implementation of the programme; one is bureaucracy, the second is the capitalist class along with their agents and the third is the vested interests. The Government should deal firmly with these people and see to it that they do not thwart the implementation of this programme.

The condition of landless labourers, and Bidi workers and small farmers is miserable. We should make use of the emergency for improving their lot.

Only speeches will not serve the purpose. Stringent action should be taken by the Government against bureaucrats and vested interests who are putting hurdles in the way of implementation of this programme.

There is urgent need to impose a ceiling on urban property. The construction of skyscrapers by using black money should be banned.

The Government should nationalise textile industry, sugar industry and cement industry. If these three industries are nationalised, it would have a far reaching effect.

The question of prices is also important. I want that separate discussion should be held in the House and Members should be given an opportunity to give concrete suggestions in this regard.

Unaccounted gold and jewellary should be unearthed and it should be confiscated. There is hidden wealth lying in Indian and foreign banks. The Government should ask the people who have kept their valuables in lockers in these banks to give an account of them. All wealth beyond a specified limit should be taken over by the Government.

The Government is spending huge amounts of money on family planning. There is no need to spend money that way. On the other hand the Government should pay attention to the proper utilisation of available man-power in the country.

Parliamentary democracy protects capitalists and their agents. We should discard such system and adopt one man's rule. Large amount is spent on elections. There is no need of election and it should be banned. The hon. Members of both the sides should disclose their present as well as past assets.

[Shri Jambuwant Dhote]

If the programme is implemented sincerely, it will bring change in real terms. We not only support the programme but will cooperate for its implementation also.

Shri Chiranjib Jha (Saharsa): The explosive situation prevailing in the country had posed a threat to our democracy. That is why the state of emergency had been declared. In the wake of declaration of emergency a sense of discipline, efficiency and loyalty has grown in every walk of life. Students have become more sincere towards their studies. Employees have become more punctual.

[श्री एच० के० एल० भगत पीठासीन हुए]

[SHRI H. K. L. BHAGAT *in the Chair*]

The 20-point programme announced by the Prime Minister pays special attention to improving the lot of the weaker sections of the society. Condition of these people is miserable. The Prime Minister has rightly shown special consideration for these people.

Our administrative set up is not committed to the democratic socialistic programme. The need of the hour is that our judiciary should be committed to democratic socialistic pattern. An amendment can be made in the Constitution for this purpose.

It is a matter of gratification that prices of essential commodities have come down. The hon. Minister should also see that cost of production also comes down.

A crash programme should be started for land ceiling, distribution of land among landless, fixation of minimum wages, ceiling on urban property and confiscation of properties of smugglers.

The problem of educated unemployed has assumed serious proportions. The problem can be solved by engaging such unemployed persons in the distribution of consumer goods, and plying mini buses. The Government should pay special attention towards this problem.

With these words, I support the Motion.

Dr. Govind Das Richhariya (Jhansi): Sir, I welcome the new twenty point economic programme announced by the Prime Minister. It has been hailed not only by the Members of Lok Sabha but also by everybody in the country. The programme can be successfully implemented by eliciting public cooperation. Committees at State level, district level, block level and Panchayat level should be constituted for the purposes of securing people cooperation for implementing this programme. The programme evisages bringing more land under irrigation. Irrigation plays an important role in the matter of agricultural production. Therefore for augmenting irrigation facilities steps should be taken to settle all pending river water disputes urgently and the disputes that have been settled and the programmes that have been made in regard thereto should be implemented soon.

Various irrigation schemes sent by the State Governments and pending with the Centre should be approved before long so that the State could go ahead with the implementation of those schemes. For example U.P. Government has sent plans for Shazada, Urmil and Rohini dams, but they are still pending with Centre. They should be approved immediately.

Alongwith major and medium irrigation, special emphasis should be laid on minor irrigation. In the Bundelkhand area, situated in the north of Narmade and south of Yamuna river there are thousands of rovers and rivulets full of water all the year round. I submit that the area may be surveyed and the water collected there may be utilised for irrigation by way of pumps and lift irrigation. If this work is started right now we can benefit from the irrigation during the rabi crop itself.

There are certain areas where the irrigation is done from the wells, but in most cases there is less water or there are stones all over the well. It becomes very difficult for a poor man to dig and get water. It would therefore be desireable that boring machines be made available to farmers on hire.

A time schedule should be prepared to implement the 20-point economic programme. Essence of the programme lies in its implementation.

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (वालासोर) : 1 जुलाई, 1975 को प्रधान मंत्री द्वारा उद्घोषित 21 सूत्री कार्यक्रम ने उन नीतियों को गति प्रदान की है, जिनका अनुसरण हम 1971 से करते आ रहे हैं। आज देश में आवश्यकता है जनता में उत्साह जागृत करने की। जनता को इस आर्थिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाये। आर्थिक कार्यक्रम के संबंध में रेडियो पर भाषण देते हुए प्रधान मंत्री ने कहा कि सरकार आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन उनकी वसूली तथा उनके वितरण को सुचारु बनाने के लिए कई उपाय करेगी। लेकिन जब तक उत्पादन और वितरण के साधनों पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक लोगों को लाभ नहीं हो सकता।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी हुई है लेकिन चिन्ता का विषय यह है कि भिन्न-भिन्न दुकानों पर मूल्य भिन्न-भिन्न हैं। सरकार एक ऐसी योजना बनाये जिससे सभी दुकानों पर मूल्य समान हो। यदि हम यह मामला व्यापारियों या सप्लाई अफसरों पर छोड़ देंगे तो हर स्थान पर मूल्य भिन्न-भिन्न होगा। साथ ही हमें इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि मूल्यों में जो यह कमी हुई वह केवल थोड़े अरसे के लिए न रहे। मूल्यों में कमी लम्बे अरसे तक रहनी चाहिए।

मजदूरों से बेगार लेने की प्रथा अभी भी देश में प्रचलित है। प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा कि बेगार लेने की प्रथा नृशंस है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। यह प्रथा चीन, फ्रांस और रूस में थी और जहां कहीं भी यह प्रथा प्रचलित थी वहां पर क्रान्तियां हुई हैं। इस समय ठेकेदारों तथा अन्य एजेंसियों द्वारा गोरखपुर के मजदूरों का खानों, इस्पात संयंत्रों और अन्य उद्योगों में शोषण किया जाता है। औरत मजदूरों का प्रयोग अनैतिक कार्य के लिए भी किया जाता है तथा निहित स्वार्थ वाले लोग उनकी गरीबी का लाभ उठाते हैं। बेगार की प्रथा को समाप्त करके हम इस सब का अन्त कर देंगे।

[श्री श्याम सुन्दर महापात्र]

हमारी ग्रामीण जनता ऋण के बोझ से बुरी तरह दबी है। अखिल भारतीय ऋण और पूंजी निवेश सर्वेक्षण के सरकारी प्रतिवेदन में कहा गया है कि 43 प्रतिशत परिवार ऋण ग्रस्त हैं। इस 20 सूत्रीय कार्यक्रम से ग्रामीण ऋणग्रस्तता दूर करने में निश्चय ही ग्रामीणों को सहायता प्राप्त होगी।

औद्योगिक मजदूरों की मजूरी दर निश्चित है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस्पात संयंत्रों में कर्मचारियों को 450 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है लेकिन खेतिहर मजदूर एक गरीब किसान की मजूरी मुकर्रर नहीं है। उसे 2 रुपये प्रति दिन भी नहीं मिलते। एक गरीब किसान के लिए प्रतिदिन 3 रुपये कमाना भी बहुत कठिन है। आज जबकि अत्यावश्यक वस्तुएं इतनी महंगी हैं उनका गुजारा होना बहुत कठिन है। अतः खेतिहर मजूर को न्यूनतम मजूरी 5 रुपये प्रति दिन निर्धारित की जाये।

20 सूत्रीय कार्यक्रम से छात्रों को भी राहत मिलेगी। प्रधान मंत्री ने कहा है कि गरीब परिवारों के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर से दूर रहकर पढ़ाई करनी पड़ती है अतः उन्हें नियंत्रित दरों पर आवश्यक वस्तुएं सप्लाई की जायेंगी। आजकल उनमें असंतोष है वह यह समझते हैं कि धनी छात्रों को स्कूलों और कालेजों में सब सुविधाएं उपलब्ध हैं और इस कारण वह सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं।

प्रारंभिक कक्षाओं में कई विद्यार्थी शिक्षा को बीच में अधूरा छोड़ देते हैं विशेषकर आदिवासियों के बच्चे शिक्षा नहीं पूरा करते। आदिवासी लोग बच्चों को स्कूल में भेजने के बजाय अपने साथ खेत में काम कराना अधिक उपयुक्त समझते हैं क्योंकि अगर बच्चा स्कूल जायेगा तो उसके खाने-पीने और कपड़े के लिए उन्हें व्यवस्था करनी पड़ेगी और यदि वह खेत में काम करेगा तो पिता के लिए आमदनी का साधन बनेगा।

इस पृष्ठभूमि में मैं यह महसूस करता हूं कि यह 20 सूत्री कार्यक्रम औद्योगिक मजदूरों, किसानों तथा छात्रों का उत्साह बढ़ायेगा। महिलाओं को भी इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए ताकि हमारा देश विश्व के विकासशील देशों की स्तर तक पहुंच सके।

श्रीमती रोज़ा देशपाँडे : (बम्बई–मध्य) : मैं इस 20 सूत्री कार्यक्रम का स्वागत करती हूं। देश की जनता ने भी आपातकालीन स्थिति और इस आर्थिक कार्यक्रम का स्वागत किया है। इस कार्यक्रम से लोग अपनी आवास, खाना-कपड़ा और रोजगार की मूल आवश्यकताएं पूरी होने की आशा रखते हैं। देश के लोग इस कार्यक्रम से कम से कम इतनी आशा तो कर सकते हैं।

यह वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष है। अतः मैं उन्हीं से प्रारम्भ करती हूं। महिलाओं में अत्यंत बेरोजगारी है। हम महिलाओं को बराबर का दर्जा देना चाहते हैं। महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता पर भी बल दिया गया है अतः सरकार को अपने उद्योगों में कम से कम 20 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित करना चाहिए। सरकार को एक नीति बनानी चाहिए कि कुछ विशेष उद्योगों में कुछ प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायें। कुछ तकनीकी केन्द्र जो अभी कागज पर ही हैं उन्हें भी राज्य सरकारों द्वारा तुरंत चालू किया जाये तथा केन्द्र यह देखे कि यह तकनीकी संस्थान और महिलाओं के लिए केन्द्र काम करना शुरू कर दे।

देश के दूर दराज के गांवों में दवाइयों का पहुंचना एक बहुत बड़ी समस्या है। इन गांवों के लोग बनियों से दवाइयां खरीदते हैं और पता नहीं कि वह असली होती हैं या नकली। दवाइयां आजकल कितनी मंहगी हैं। इसे भी 20–सूत्री कार्यक्रम का अंग बनाया जाए, लोगों को दवाइयां उपलब्ध कराई जायें और उन के स्वास्थ्य में सुधार किया जाए। हाथी समिति का प्रतिवेदन सभापटल पर रखा जा चुका है। मंत्री महोदय और प्रधान मंत्री का कहना है कि उन का विचार अभी दवाई बनाने वाली कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण करने का नहीं है। अगर आप राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं लेकिन मैं एक बात बनाता चाहती हूं कि यह उद्योग विदेशी एकाधिकार में है और हमारा सरकारी क्षेत्र इसकी प्रतियोगिता नहीं कर सकता अतः सरकार को कुछ कम्पनियों जैसे ग्लैक्सो, रोष, सिनमाइड, सैंडोज और बूटस इत्यादि को अपने एकाधिकार में ले लेना चाहिए। इस प्रकार आप गांवों के लोगों को भी दवाइयां उपलब्ध कराने में समर्थ होंगे। मैं आप को आश्वासन दे सकती हूं। कि इस उद्योग में लगे व्यक्ति काफी शिक्षित हैं और वह इस उद्योग के प्रबंध को अपने हाथों में अच्छी तरह संभाल सकते हैं। यह कम्पनिया मुनाफा कमाने वाली कम्पनियां हैं कपड़ा मिलों की भांति इन का दिवाला नहीं निकला हुआ अतः मेरा अनुरोध है कि आप सारे उद्योग का राष्ट्रीयकरण चाहे न करें लेकिन कम से कम इन 6–7 कम्पनियों को तो अपने अधिकार में ले लें।

इस आपातकालीन स्थिति के दौरान सरकार को मजदूरों के प्रति भी ध्यान देना चाहिए उद्योगपति और एकाधिकारी इस आपात स्थिति का उपयोग कर्मचारियों को दबाने में कर रहे हैं सरकार को भी इस में सहयोग नहीं देना चाहिए। उदाहरणार्थ देश में बैंक कर्मचारियों को बोनस मिलना चाहिए। अभी तक उन्हें बोनस क्यों नहीं दिया गया? यदि आप कर्मचारियों का सहयोग चाहते हैं तो आप उन्हें वह दें जो उन को देय है।

मैं यह भी सुझाव देना चाहती हूं कि आजकल आप ने बम्बई, कलकत्ता और मद्रास इत्यादि में जो फ्लैटों की जांच शुरू की है उसे आप पद्धति रूप में करें आप इन सभी उद्योगपतियों की सूची बना लीजिए और सूची के अनुसार जांच करिए। आप अपने मंत्रालयों के साचिवों के घर की भी जांच करें हम जानते हैं कि आप के मंत्रालयों में कौनसे सचिव भ्रष्ट हैं हम नौकरशाही को दोष देते हैं परन्तु उन्हें भ्रष्ट कौन करता है जिस के पास उन्हें भ्रष्ट करने के लिए धन है। क्या सरकार नौकरशाही भ्रष्ट करने वाले लोगों को पकड़ रही है। जब सरकार इस दिशा में कार्य करेगी तभी यह सही दिशा में कार्य कर सकती है।

श्री के० डी० मालवीय : (डुमरियागंज) : इस समय हम प्रधानमंत्री द्वारा आर्थिक प्रगतिहेतु उद्घोषित नए कार्यक्रम के प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं। आपातकालीन स्थिति की घोषणा के बाद कई परिस्थितियां बनाई गई हैं और जो कुछ भी इस संबंध में किया गया है वह दल को शक्ति प्रदान करने के लिए नहीं किया गया है वरन् यह देश में ऐसा वातावरण तैयार करने के लिए किया गया है जिस से हम उस मार्ग पर चल सकें जिस का कि हम ने लोगों को वचन दिया था। अतः इस के लिए सरकार की वर्तमा न कार्यकरण पद्धति में सुधार करना होगा। क्रियान्वयन तंत्र को जनता तथा दल में तथा दल तथा सरकार में एक नया संबंध स्थापित करना होगा। अतः मेरे विचार में यह परिवर्तन अपरिहार्य है।

संसद् सदस्यों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। हम हमेशा यह सोचते थे कि एक समय आएगा जब विरोधी पक्ष अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तथा एक साथ बैठकर इस बात पर विचार करेंगे कि राजनीतिक लोकतन्त्र किस प्रकार कार्य करे। दुर्भाग्यवश स्थिति सामान्य नहीं थी सरकार की उन सभी भावनाओं

[श्री के० डी० मालवीय]

पर कुठाराघात किया गया जिन से कि कार्यक्रम लागू करने के सम्बन्ध में अच्छी आपसी समझ पैदा होती। यह कार्यक्रम लागू करना इस सरकार और इस दल का ही ध्येय नहीं है वरन विपक्ष में बैठे बहुत से अन्य गुटों का भी ध्येय है। संसद् का यह दायित्व है कि वह विषमताओं को दूर करा के एक समतावादी समाज की स्थापना करे।

हमारे समक्ष कई सुझाव हैं वित्त मंत्री महोदय उन पर विस्तार में विचार करेंगे। माननीय सदस्या श्रीमती देशपांडे ने दवाईयों का प्रश्न उठाया है जब से हाथी समिति का प्रतिवेदन आया है दवाई के क्षेत्र में हम ने काफी प्रगति की है। यह प्रगति सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में हुई है। माननीय सदस्या ने दवाई उद्योग के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव रखा है पर इस प्रस्ताव को मानना इतना सरल नहीं है इस में बहुत सी कठिनाइयां हैं परन्तु मुनाफाखोरी पर रोक लगाई गई अधिकाधिक दवाइयां बनाई जा रही हैं और उन्हें गांवों तक पहुंचाया जा रहा है। आशा है थोड़े ही महीनों में सरकारी क्षेत्र में सस्ते दाम पर दवाइयों अधिक मात्रा में बनने लगेंगी।

अन्य महत्वपूर्ण मामला पैट्रोलियम उत्पादों का है। सदन के सदस्यों तथा लोगों द्वारा मिट्टी के तेल डीजल और गैस के मूल्यों में हुई तनिक वद्धि पर चिन्ता व्यक्त की गई है। 1974 से विभिन्न पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में बहुत कम वृद्धि की गई है जबकि तेल मूल्य आयोग ने मूल्यों में अधिक वृद्धि की सिफारिश की थी लेकिन हम ने उन की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया क्योंकि हम जानते हैं कि इस से लोगों की जेबों पर असर पड़ेगा। मूल्यों में तनिक वद्धि इंडियन आयल कम्पनी की कम वसूलियों को पूरा करने के लिए भी की गई हैं और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो मुझे वित्त मंत्री से 140.0 करोड़ रु० की सहायता मांगनी पड़ती इस से देश में मुद्रास्फीति बढ़ती अत: इसीलिए तनिक सी वद्धि करके लोगों से यह पैसा वसूल करना अधिक बेहतर था। मिट्टी के तेल में भी केवल 10 पैसे वद्धि की गई है क्योंकि हम मिट्टी तेल के उपभोग को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते।

हम शोधित तेल के आयात को बिल्कुल समाप्त करना चाहते हैं इसीलिए हम तट पर और तट दूर दोनों ओर तेल की खुदाई करा रहे हैं। तट दूर खुदाई का कार्य बढ़ रहा है और हमें आशा है कि आगामी कुछ वर्षों तक तेल मिलने की अच्छी संभावना है और यह तेल 10 लाख से 20 लाख टन के बीच होगा। यदि तेल की खोज और उत्पादन कार्यक्रम को जारी रखा जाता है तो आशा है कि तीन वर्षों के भीतर स्थिति सुधर जाएगी। 1980 के अन्त तक हम अपनी आवश्यकता के अनुरूप तेल उत्पादन करने में समर्थ होंगे।

आसाम में तेल खोज का कार्य बढ़ रहा है। मैं सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि बोगईगांव और नूनमाटी की शोधनशालाओं का विस्तार किया जा रहा है। हम इन शोधनशालाओं के विस्तार की योजना बना रहे हैं। बोगईगांव शोधनशाला के पैट्रोरसायन उद्योग के लिए एक योजना बनाई जा रही है और आशा है आगामी दो तीन वर्षों में दोनों शोधनशालाओं का विस्तार कार्यक्रम तथा बोगईगांव पैट्रोरसायन उद्योग की कार्य माननीय सदस्यों की संतुष्टि से अधिक होगा। जहां तक शोधनशालाओं की संख्या बढ़ाने का प्रश्न है अभी इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। आसाम में तीन शोधनशालाएं हैं एक डिगबोई में एक नूनमाटी में तथा एक बोगईगांव में है। इन शोधनशालाओं में हम अधिक से अधिक अशोधित तेल उत्पादन के प्रयास कर रहे हैं ताकि हम बिहार में बरौनी को 20 लाख टन तेल जिस का हम ने वायदा किया था, भेज सकें।

जहां तक उर्वरकों का संबंध है, उन के मूल्यों में विभिन्न किस्मों के अनुसार 50 से 200 रुपये तक की कमी हुई है सरकारी क्षेत्र के उर्वरक उद्योग के अन्तर्गत अपने संयंत्र बनाने का एक विशाल कार्यक्रम है। बम्बई हाई और अन्य स्थानों पर तेल और गैस की खोज से सरकारी क्षेत्र में उर्वरक उत्पादन की स्थिति बहुत सुधर गई है। हम आशा करते हैं कि इन सापेक्ष क्षेत्रों से अधिकाधिक तेल और गैस की प्राप्ति होगी ताकि हम पांचवीं योजना के मध्य तक अपने लोगों के लिए 38 लाख टन उर्वरक का उत्पादन करने में समर्थ हों।

सरकारी क्षेत्र के एकक दवाइयों की किस्म और मात्रा में वृद्धि करने में सहायता कर रहे हैं। दवाइयों की देश में बहुत आवश्यकता है हाल ही में रक्त चाप की दवाइयों का अत्यन्त अभाव हो गया था। यह गोलियां न तो हमारे देश में उपलब्ध थीं और न ही पश्चिमी देशों में इसलिए हम ने बड़ी मात्रा में इन दवाइयों को किसी न किसी तरह प्राप्त किया और अब हम सरकारी क्षेत्र में इन का उत्पादन कर रहे हैं और अब रक्त चाप के इलाज के लिए दवाई प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होगी।

मैं आशा करता हूं कि प्रधान मंत्री द्वारा उद्घोषित आर्थिक कार्यक्रम के बारे में न केवल हमारे दल के लो ा ही अपितु विरोधी दल के लाग भा गम्भारता से विचार करेंगे।

Shri Jagdish Narayan Mandal (Godda): Sir, I welcome the twenty point programme. This programme has received wide support from all sections of the people. It pays special attention to improving the lot of the weaker sections of the society. In the wake of declaration of emergency the prices of esential commodities have gone down. The rate of production has also increased. The income tax limit has been raised from Rs. 6000 to Rs. 8000. People have welcomed it. The Bihar Government had announced on 5th July that it would distribute 50 thousand acre land among ten or twelve thousand landless families. I would like to give a suggestion in this regard. Alongwith this land the Government should give two thousand rupees to each family so that they could buy the necessary agricultural inputs otherwise there is every likelihood that this land will go into the hands of Jamindars.

In certain districts of Bihar, such as Santhal Pargana, Chhotanagpur, etc. 'Pradhani' system is still prevalent. This system should be done away with.

Persons living in hill areas should be provided with land in the plains so that they may earn their livelihood by cultivating this land.

It is heartening to note that the schemes have been drawn up for providing funds to the agricultural labourers for constructing houses. Gram Panchayat of every block in Bihar has been provided with funds for constructing houses for the agricultural labourers. But these funds were not utilised for the propose for which they had been given.

Action should, therefore be initiated to see that the funds are properly utilied and houses constructed expeditiously.

[Shri Jagdish Narayan Mandal]

In the present economic programme, 50 lakh acres of land is proposed to be brought under irrigation. Only 2 per cent of the land is irrigated in Santhal and Chottanagpur of Bihar.

This part of the country cannot develop till Government provides irrigation facilities in the hill and Adivasi areas. Government should initiate measures for providing irrigation facilities in the backward districts and backward States.

Shri Rajdeo Singh (Jaunpur): The 20-point economic programme and the declaration of emergency have provide a blessing indisgise for the people of the country. We find considerable improvement in every sphere of national activity, following the proclamation of emergency. There has been improvement in the law and order situation. Ticketless travelling in trains has been checked and the work in Government offices has also been toned up. Therefore, the state of emergency is a welcome step and this should continue.

40 per cent of our population do not get two square meals a day. In the economic programme, measures for ameliorating the lot of the poor people, agricultural labourers and the labourers engaged in building activity, have been included. The programme has brought a new ray of hope for them.

The programme is to be implemented by Government machinery. It is gratifying to note that Government have framed rules to retire compulsorily such of the officers as are lax or lazy and do not work with sincerity and honesty. It is hoped that Government will continue to take such steps in all seriousness and this emergency will usher in an era of peace and progress in our country.

I fully support this 20-point economic programme.

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : हमने इस विषय पर 18 घंटे लगातार अत्यधिक विस्तार से चर्चा की है । इस पर अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान दिये गये हैं और यह देखकर सन्तोष हुआ है कि इस वाद विवाद में भाग लेने वाले सभी सदस्य एकमत रहे हैं । इस आर्थिक कार्यक्रम का बहुमत से समर्थन किया गया है ।

12 जुलाई को मूल्य स्तर पर गत वर्ष इस अवधि के मूल्य स्तर की तुलना में 2.1 प्रतिशत कम था। 12-7-75 के एक सप्ताह बाद स्थिति में और सुधार हुआ है । थोक विक्रय सूचकांक 0.3 प्रतिशत घटा और 19-7-75 को मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 2.7 प्रतिशत थी। पिछले वर्ष यह दर 2.1 प्रतिशत थी ।

मूल्यों की घटा बढ़ी पर विचार करते हुए हमें परम्परागत स्थिति पर ध्यान देना होगा जहां कि मूल्य घटते बढ़ते हैं । वर्ष के मन्दी वाले काल में मूल्य बढ़ते हैं और फसल के दौरान कम होते हैं। यह मन्दी की अवधि अप्रैल से आरम्भ होकर अक्तूबर तक चलती है । इसके बाद खरीफ की फसल आ जाती है और मूल्य घटने लगते हैं ।

पिछले दो वर्षों के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था में जबकि मूल्य घटने चाहिए थे, दुर्भाग्य से मूल्य बढ़ते रहे तथा मन्दी की अवधि में और अधिक बढ़े । यह स्थिति पहली बार उत्पन्न हुई है जबकि अक्तूबर से पहले ही मूल्य गिरे हैं और मूल्यों में यह मौसमी गिरावट परिलक्षित होने लगी है ।

अप्रैल के महीने से जब मन्दी का काल आरम्भ होता है मूल्य बढ़ने चाहियें थे। इस मामले पर विचार करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सम्भवतः यह नितान्त मौसमी स्थिति नहीं है। इसमें मद्रास प्लाई जैसे और भी कुछ गैर फसली कारण भी हैं। अतः हमने स्थिति का दुबारा पुनर्विलोकन किया और अपनी धन सम्बन्धी नीति को और कठोर बनाया तथा घाटे की अर्थव्यवस्था में सुधार करने की द्रष्टि से कुछ अन्य उपाय भी किए हैं। सौभाग्य से इन कदमों के सुपरिणाम निकले तथा मूल्यों में फिर से गिरावट आने लगी है।

निस्संदेह आपात स्थिति से स्थिति काफी सुधरी है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि मूल्यों में गिरावट का रूख खुदरा मूल्यों में परिलक्षित नहीं हुआ है। खुदरा मूल्य स्तर में गिरावट आते समय थोक विक्रय मूल्य सूचकांक पर प्रभाव कुछ विलम्ब से पड़ा था। लेकिन सौभाग्य से आपात स्थिति से यह अन्तराल समाप्त हो गया है। हमें पता चला है कि खुदरा मूल्य स्तर भी अब गिरने लगा है। जहां तक मूल्यों के रूख का सम्बन्ध है, स्थिति सन्तोषजनक है। यदि और आगे कार्यवाही करने की आवश्यकता पड़ी तो सरकार ऐसे कदम उठाने से हिचकिचायेगी नहीं।

मुद्रा सम्बन्धी और वित्तीय नीतियां जिसमें धन सप्लाई भी सम्मिलित है, जो इस आधार पर बेहतर मूल्य स्थिति उत्पन्न करती है, मुद्रास्फीति की स्थिति को सदैव ठीक नहीं रख सकती है। यह तो उत्पादन वद्धि से ही हो सकता है। इस वर्ष हुई कुल राष्ट्रीय आय में 5 से 6 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि के आधार पर उत्पादन की दृष्टि से पिछले वर्षों की तुलना में यह वर्ष अपेक्षाकृत अच्छा वर्ष है। अर्थव्यवस्था की वद्धि में कुछ तेजी लाने के उद्देश्य से हमने योजना निवेश में 23 प्रतिशत कर दी है जिसमें हमने सिंचाई और विद्युत को प्राथमिकता दी है।

सिंचाई परियोजनाओं तथा विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में भी ऐसे ही प्रयास किये जा रहे हैं और यदि अधिक संसाधनों का आवंटन करना आवश्यक समझा गया तो यह इसमें तनिक भी हिचकिचाहट नहीं करेंगे और विशेषकर बड़ी परियोजनाओं में जो अनिश्चित काल से चल रही है, अधिक धन लगायेगें। हम नागार्जुन सागर परियोजना, राजस्थान नहर तथा अन्य अनेक परियोजनाए जैसी बड़ी परियोजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिये कदम उठा रहे हैं ताकि हम उन्हें शीघ्र पूरा कर सके और इनसे शीघ्र लाभ उठा सकें। केवल यही समस्या बनी रहेगी कि इन विभिन्न परियोजनाओं को क्षमता कहां लगाई जायेगी।

जहां तक विद्युत का सम्बन्ध है, हम यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम कौन सी परियोजनाओं पर अधिक धन लगा सकते हैं ताकि उनसे शीघ्र लाभ उठाया जा सके। इनमें से काली नदी भी एक है जिसकी जांच की जा रही है। हम ऐसी परियोजनाओं का पता लगा रहे हैं।

अतः सिंचाई और विद्युत के इन दोनों क्षेत्रों में हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि परियोजनाओं को आरम्भ करने हेतु हमारे पास उपलब्ध सम्पूर्ण प्राकृतिक क्षमता का उपयोग करने के लिए अपेक्षित वित्तीय संसाधनों से प्राकृतिक क्षमता मेल खाये।

यह स्वाभाविक ही है कि औद्योगिक क्षेत्र में भी राशि निवेश किया जाता है। तभी वास्तविक प्रगति की अपेक्षा की जा सकती है। इसके लिए हमें सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए अपेक्षित संसाधनों के बारे में विचार करना पड़ेगा क्योंकि हमें उन्हें पूरा करना है। और हम इनका अनवरत पुनर्विलोकन कर रहे हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र ने भी चाहे हम इसे पसन्द करें या न करें, हमारी

[श्री सी० सुब्रह्मण्यम]

मिश्रित अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका निभाई है । इस उद्देश्य के लिए भी विशेषकर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में राशि निवेश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों का पुनर्विलोकन करना है । हमने यह सुनिश्चित किया है कि इन औद्योगिक परियोजनाओं में राशि निवेश करने के उद्देश्य से ये संसाधन वित्तीय संसाधनों के पास उपलब्ध होंगे ।

प्रत्येक सदस्य ने इस बात पर जोर दिया है, यह सही है कि यह कार्यक्रम अच्छा लगता है लेकिन इसके क्रियान्वयन के बारे में क्या किया जायेगा ? सब कुछ क्रियान्वयन पर ही निर्भर करता है । यदि हम वर्तमान परिस्थितियों में अपने कार्यक्रमों को क्रियान्वित नहीं कर सकेंगे तो सरकार में बने रहने का हमारा कोई औचित्य नहीं है । फिर भी इस नये वातावरण में इन सब बातों को तेजी से करना है । निःसंदेह हम अपने वचन को अधिक महत्व देते हैं । लेकिन जहाँ तक नौकरशाही का सम्बन्ध है, कुछ रायग्रही लोगों को छोड़कर अन्य सभी अपने आप को हमारे कार्यक्रमों के अनुरूप ढाल लेते हैं और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करते हैं । जहां तक नौकरशाही में प्रशिक्षित जन शक्ति का सम्बन्ध है, यदि हम इस प्रणाली में उचित और सम्यक परिवर्तन करते हैं और उन्हें उचित व्यवस्था में कार्य करने की अनुमति देते हैं तो निःसंदेह अधिकारी तंत्र या सरकारी तंत्र अधिक क्षमता से कार्य करेगा ।

नये कार्यक्रमों और पुराने कार्यक्रमों के संबंध में हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं । विभिन्न क्षेत्रों तथा वहां की जनसंख्या में पिछड़ेपन को समाप्त करना भी एक सुविदित प्राथमिकता है । लेकिन इसके बावजूद हम बहुत से क्षेत्रों में पिछड़ेपन को दूर नहीं कर सके हैं ।

जहां तक बिहार का संबंध है, इनकी मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ है । जहां तक जल संसाधनों का संबंध है, सम्भवतः कोई अन्य राज्य संसाधनों की उपलब्धता के बारे में इस राज्य की समता नहीं कर सकता । यहां खनिज सम्पदा भी बहुत है । यदि सरकारी क्षेत्रों को देखा जाये तो कुछ अत्यधिक विशाल औद्योगिक क्षेत्र इसी राज्य में है । इस सब के बावजूद बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है । बिहार में वर्तमान सामंती वातावरण के कारण यहां वर्ण व्यवस्था एवं जाति भेद बहुत अधिक है । जब तक हम बिहार में सामंती वातावरण को समाप्त नहीं करेंगे यहां प्रगति नहीं होगी । बिहार में सुधार भूमि कानून बड़ी कठोरता से लागू करना होगा । यदि हम पिछड़ेपन से छुटकारा पाना चाहते हैं और प्रगति की नई व्यवस्था में पदार्पण करना चाहते हैं तो हमें सब से पहले यही कार्य करना चाहिए । दूसरे समेकित ग्रामीण विकास के आधार पर हम कृषि को आधार मानकर ही आशती प्रगति कर सकते हैं । चाहे बिहार हो या देश का कोई अन्य भाग हो, हमारी प्रगति कृषि ग्रामीण विकास पर निर्भर करेगी ।

किसी भी राज्य अथवा देश के विकास का आधार हमेशा कृषि ही रहा है । हमारे देश के 70 प्रतिशत लोगों का व्यवसाय कृषि ही है । अतः देश के आर्थिक विकास के लिये कृषि विकास अनिवार्य है । यह बात सौभाग्य की है कि उत्पादन वृद्धि के लिये हमने सहन खेती की तकनीक का विकास कर लिया है ।

हमारा रोजगार कार्यक्रम बहुद्देश्य वाला कार्यक्रम होना चाहिये । लेकिन साथ ही यदि हम ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या हल करना चाहते हैं तो इसे समेकित ग्रामीण विकास के आधार पर लागू करना होगा इस विकास कार्य के ग्रामीण विकास के पुराने तरीके से पूरा नहीं किया जा सकता है । यहां तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी ।

प्राचीन सामन्तवादी परम्परायें ही ऋणग्रस्त का कारण हैं। इन सब बातों को दूर किया जाना है । इसे ऋण स्थगन द्वारा ही दूर नहीं किया जा सकता है । हमें इस बुराई के असली कारणों का पता लगाना चाहिये । ये गरीब लोग ऋण में इस कारण डूब जाते हैं कि ये विवाह, मृत्यु, जन्म आदि रीतियों को निपटाने के लिये अमीर लोगों की नकल करना चाहते हैं । अतः उनकी कुछ अऋग्रस्तता इस प्रकार के फजूल खर्च से बढ़ जाती है । अतः सामाजिक रीतियां ही उनके मार्ग में बाधक हैं। ग्राम्य ऋण-ग्रस्तता को दूर करने के लिये हमें फजूलखर्च वाली सामाजिक रीति रिवाजों पर प्रहार करना पड़ेगा ।

इन सामाजिक बुराईयों का पता लगाया जाना चाहिये और इनकी जड़ों तक पहुंचना चाहिये । वर्तमान आपातकालीन स्थिति तथा इससे उत्पन्न वातावरण से हम निश्चय ही इन सामाजिक बुराईयों को जड़ों से ही समाप्त कर सकते हैं ।

प्रधान मंत्री ने राष्ट्रीयकरण के बारे में जो वक्तव्य दिया, उसकी चर्चा भी की गयी है । प्रधान मंत्री ने अपने 27 जून के प्रसारण में कहा था कि कारखानों के राष्ट्रीयकरण तथा नये कठोर नियंत्रणों के बारे में कई प्रकार की निराधार बातों का अफवाहें फैलाई जा रही है । उन्होंने कहा था कि "हमारी कोई ऐसी योजनायें नहीं " । वे फैलायी गयी सारी आफवाहों पर उत्तर भी देती रही राष्ट्रीयकरण के बारे में हमने नीति बनायी है । उस नीति के बारे में हम स्पष्ट रूप से चर्चा कर चुके हैं। हम केवल राष्ट्रीयकरण के लिये ही राष्ट्रीयकरण नहीं करते। लेकिन अर्थ व्यवस्था के हित तथा जनहित में ऐसा करता जरूरी है तो हमने राष्ट्रीयकरण करने में कभी भी संकोच नहीं किया है । भविष्य में भी हमारी नीति ऐसी ही रहेगी।

हम चीनी कारखानों के राष्ट्रीयकरण पर भी इसी नीति के आधार पर बिचार करेंगे । मुझे चीनी उद्योग विशेषकर उत्तरप्रदेश, बिहार की समस्याओं की जानकारी है । मैं सदस्यों को आश्वासन देना चाहूंगा कि सरकार कुछ इस प्रकार के प्रस्ताव लायेगी जिनसे उस क्षेत्रके चीनी उद्योग की दशा में सुधार हो सके ।

हमारे देश की अर्थ व्यवस्था मिश्रित है और सरकारी क्षेत्रके साथ साथ गैर सरकारी क्षेत्र भी है जिसे शोषणकारी नहीं बल्कि स्वस्थ ढंग से काम करना होगा। गैर सरकारी क्षेत्र में शोषण क्यों होता था । इसका कारण पैतृक प्रबन्ध प्रणाली थी जो गैर सरकारी क्षेत्र में आज भी विद्यमान है । इसे समाप्त करना होगा। प्रबन्धके व्यवसायीकरण द्वारा ही गैर सरकारी क्षेत्र को स्वस्थ बनाया जा सकता है। जब तक हम गैर सरकारी क्षेत्र में स्वामित्व तथा प्रबन्ध को दूर न कर दें उस समय तक नौकरशाही प्रबन्ध के अधीन कारखाना संकटग्रस्त ही दीखता रहेगा ।

जहां तक कपड़ा नीति का सम्बन्ध है इसके बारेमें हम अपने दल के अन्दर ही चर्चा कर रहे हैं और हम इस दिशा में कुछ ठोस कार्य करने की आशा रखते हैं ।

हम प्रति मास 15 लाख टन सीमेंट का उत्पादन कर रहे हैं। अतः सीमेंट की कोई कमी नहीं होनी चाहिये । सरकार ने केवल ग्रामीण क्षेत्रों तथा कृषि क्षेत्र के लिये 10 लाख टन सीमेंट का नियतन करने का निर्णय लिया है । इसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी सिंचाई कार्यक्रमों तथा छोटे मोटे मरम्मत के कार्यों के लिए किया जायेगा ।

आशा रखनी चाहिये कि शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इन अनिवार्य बस्तुओं के बितरण हेतु हम एक युक्तिसंगत वितरण प्रणाली बना लेंगे ।

कुछ सदस्यों ने कुछ लोगों द्वारा सम्पत्ति के भद्दे प्रदर्शन की चर्चा भी की है। हमारे जैसे गरीब देश में बड़े बड़े लोगों के रहन सहन का स्तर विकसित तथा पूंजीवादी देशों के बड़े बड़े लोगों के स्तर से भी ऊंचा है।.यहां विषमता अधिक है और इसलिये सम्पत्ति के इस भद्दे प्रदर्शन को कम करना पड़ेगा। उच्च स्तर के लोगों के रहन सहन का स्तर सारे देश की अर्थ व्यवस्था के ही अनुकूल करना होगा। इस दिशा में हम सब को, विशेषकर जो जिम्मेदारी के पद पर हैं, एक आदर्श स्थापित करना होगा।

जहां तक 20 सूत्रीय कार्यक्रम का सम्बन्ध है, यह सही दिशा की प्रक्रिया का एक श्रीगणेश है। अतः हमें यह गलत धारणा नहीं रखनी चाहिये कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के तुरन्त बाद एक नया समाज बनेगा।. लेकिन यदि हम इसी दिशा में कदम बढ़ायें और इसहेतु उचित कदम उठायें तो इससे नये समाज के निर्माण के लिये सहायता मिलेगी।

हम आज एक ऐतिहासिक महत्व के समय से होकर गुजर रहे हैं और हमें इस इतिहास के सृजन में भागीदार होने का सौभाग्य है। हम सब को मिल कर एक नये इतिहास और नये समाज का सृजन करना चाहिये।

अब मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे पेश किये गये अपने संशोधनों पर बल न दें।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री राजदेव सिंह : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिये गये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा प्रधान मंत्री द्वारा 1 जुलाई, 1975 को घोषित आर्थिक प्रगति के नये कार्यक्रम पर, जो 28 जुलाई, 1975 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 5 अगस्त, 1975/14 श्रावण, 1897 (शक) के 11 बजे म०पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, August 5, 1975/Sravana 14, 1897 (Saka).

GMGIPND—L—1276 LS—26.9.75—200.

PARLIAMENT LIBRARY
No. B. 274 (17)
DATE. 18.10.75

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi].